CO/MBD/2021-22/67 31st May, 2021

National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot No.C/1, 'G' Block Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400 051 **Scrip code – CENTRALBK**	BSE Ltd. Corporate Relationship Deptt Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400001 **Scrip Code – 532885**

Dear Sir/Madam,

Sub: **Notice of Extra-ordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank for election of ONE Shareholder Director**.

Please refer to our letter no. CO: MBD: 2021-22:56 dated 21st May, 2021 informing thereby that the Board of Directors of the Bank in its meeting held on 21st May 2021 has accorded approval to convene an Extra-ordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of the Bank through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) on Wednesday, 30th June 2021 at 11.00 AM IST at Central Office, Mumbai (deemed venue) for election of ONE Shareholder Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government.

Further to above, we submit herewith a copy of the EGM notice as being emailed to shareholders and also being uploaded on website of the Bank namely- www.centralbankofindia.co.in under the link investor relations.

This information is furnished under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Please take the above on your record.

Thanking you,
Yours faithfully,

For CENTRAL BANK OF INDIA

ANAND KUMAR DAS
DEPUTY GENERAL MANAGER/
COMPANY SECRETARY

इंडिया / CENTRAL BANK OF INDIA मर्चेंट बैंकिंग विभाग, कें.का. Merchant Banking Division, C.O. मुंबई / MUMBAI

चंदर मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 • दूरध्वनी : 2202 6428, 6638 7777 • फैक्स : (91-22) 2204 4336

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना
बुधवार, दिनांक 30 जून, 2021

NOTICE FOR EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING
WEDNESDAY, JUNE 30, 2021

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय : चंदरमुखी, नरीमन पाइंट,
मुम्बई - 400021

CENTRAL BANK OF INDIA
Head Office : Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai - 400 021

विषय-सूची / CONTENTS

	पृष्ठ सं. PAGE NO.
सूचना / Notice	01
नोट / Notes	01
व्याख्यात्मक विवरण / Explanatory Statement	17
घोषणा / Declaration	37
नामांकन फार्म / Nomination Form	41
व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र Personal Information, Declaration and Undertaking	43

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का कैलेंडर / Important Calendar of Events:

चुनाव में नामांकन एवं चुनाव लड़ने के लिए चुनाव में भाग लेने के हकदार शेयरधारकों निर्धारित करने के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि Cut-off Date for ascertaining the Shareholders entitled to participate in the election, i.e. to nominate and contest in the election of One Shareholder Director	शुक्रवार, 04 जून, 2021 Friday, 04th June,2021
नामांकन फॉर्म और 'व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र' को स्वीकार करने की अंतिम तिथि Last date for acceptance of Nomination Forms and 'Personal Information, Declaration and Undertaking.	बुधवार, 16 जून, 2021 Wednesday, 16th June,2021
नामांकन की संवीक्षा Scrutiny of Nominations	गुरुवार, 17 जून, 2021 Thursday,17th June,2021
ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग में प्रतिभागिता के लिए कट-ऑफ तिथि Cut-off date for participation in Remote E-voting and E-Voting during EGM	बुधवार 23 जून, 2021 Wednesday 23rd June,2021
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि Last date for withdrawal of candidature	शुक्रवार, 25 जून, 2021 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) Friday, 25th June, 2021 (5:00 p.m. IST)
प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने वाले प्रस्तावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय Last date & time of receipt of resolutions appointing Authorized Representatives	शुक्रवार, 25 जून, 2021 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) Friday, 25th June,2021 (5:00 p.m. IST)
रिमोट ई-वोटिंग अवधि Remote E-voting period.	रविवार, 27 जून, 2021 को (सुबह 10:00 बजे आईएसटी) और मंगलवार, 29 जून, 2021 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) Starts on Sunday,27th June,2021 at (10:00 a.m.IST) and ends on Tuesday, 29th June,2021 at (5:00 p.m.IST)
असाधारण महासभा बैठक की तिथि और समय Date and time of Extra-ordinary General Meeting.	बुधवार, 30 जून, 2021 पूर्वाह्न 11.00 बजे आईएसटी (वीसी/ओएवीएम द्वारा) Wednesday, 30th June, 2021 at 11.00 a.m. IST (Through VC/OAVM)

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : चंदरमुखी नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई - 400 021

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर धारकों की एक असाधारण सामान्य बैठक **बुधवार दिनांक 30 जून, 2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे** चंदरमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय (बैठक का प्रस्तावित स्थल) में वीडिओ कॉन्फरेंस (वीसी) / अन्य दृश्य श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से निम्नलिखित कार्यकलाप के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

कार्यसूची मद : शेयर धारकों के निदेशक का चुनाव

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे ''अधिनियम'' कहा गया है की धारा 9 (3) (i) सह पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद इसे ''विनियम अधिनियम'' कहा गया है.), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसे ''योजना'' कहा गया है), अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में बनाए गए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 (इसके बाद इसे ''विनियम'' कहा गया है) और आरबीआई मास्टर निर्देश द्वारा जारी पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'फिट और उचित' मानदंड पर अधिसूचना संख्या डीबीआर.अपार्ट.सं.9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 (इसके बाद इसे ''आरबीआई मास्टर निर्देश'' कहा गया है और इसमें आगे संशोधन यदि कोई हो), सहपठित भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में विचार के लिए जारी दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और दिनांक 8 जुलाई 2016 (इसके बाद ''भारत सरकार के दिशानिर्देश'' रूप में संदर्भित किया गया है और इसके संशोधन, यदि कोई हो) के अनुसार निम्न संकल्प पारित कर केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चयन करना:

''**संकल्प कियाजाता है कि** संबंधित योजना,उसके तहत बनाये गये विनियमों,आरबीआई मास्टर दिशानिर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3)(i)के अनुसार केंद्र सरकार से अतिरिक्त शेयरधारकों में से चुने गए एक निदेशक को 1 जुलाई 2021 से बैंक के निदेशक के रूप में कार्यालय संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे इस प्रकार कार्य संभालने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के पूरा होने तक पद धारण करेंगे.''

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

हस्ताक्षर/-
(आनंद कुमार दास)
उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव

स्थानः मुंबई
दिनांक: 21.05.2021

नोट :

1. **व्याख्यात्मक विवरण**

   बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है.

2. **वीडिओ कॉन्फरेंस (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन**

   i. कोविड-19, महामारी के जारी रहते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ सीएफडी/सीएमडी1/ सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सहपठित,कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (''एमसीए'') के परिपत्र संख्या 20, दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र संख्या 14 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और परिपत्र संख्या 17, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 22 दिनांक 15 जून, 2020, परिपत्र सं. 33 दिनांक 28 सितम्बर, 2020,परिपत्र सं. 39 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 और परिपत्र सं.2 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (इसके बाद इन्हें सामूहिक रूप से ''एमसीएपरिपत्र'' कहा

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

NOTICE

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on **Wednesday, 30th June, 2021 at 11.00 A.M.** at head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the following business :

Agenda Item: Election of Shareholders' Director

To elect ONE Director from amongst shareholders of the Bank, other than Central Government in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Regulation Act"), Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme"), Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and RBI Master Direction on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No:9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 (hereinafter referred to as "RBI Master Directions" and further amendments thereto, if any) read with Guidelines dated 25th March 2015 and dated 8th July 2016 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors in Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines" and further amendments thereto, if any) by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT One Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, read with the Scheme, Regulations made thereunder and RBI Master Directions and GOI guidelines, be and is hereby elected as the Director of the Bank to assume office from 1st July 2021 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

Place: Mumbai
Date: 21.05.2021

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

ANAND KUMAR DAS
Deputy General Manager/Company Secretary

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT**

   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **HOLDING OF EGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

   i. In view of the continuing Covid-19 pandemic, Securities & Exchange Board of India (SEBI) circular no SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular No. 20 dated May 5, 2020, Circular No. 14 dated April 8, 2020, Circular No. 17 dated April 13, 2020, Circular No. 22 dated June 15, 2020, Circular No. 33 dated September 28, 2020, Circular No. 39 dated December 31,

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

जायेगा) के माध्यम से एक स्थल पर उपस्थित हुए बिना, वीडिओ कॉन्फरेंस(वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है. इन एमसीए परिपत्रों और सेबी(सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में बैंक के सदस्यों की असाधारण सामान्य बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है.

ii. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें), विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार असाधारण सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने स्थान पर बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते / सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है. चूंकि यह असाधारण सामान्य बैठक ''एमसीएपरिपत्र'' के अनुरूप वीडिओ कॉन्फरेंस (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से आयोजित की जा रही है, सदस्य का भौतिक रूप से उपस्थित रहना समाप्त किया गया है. तदनुसार, सदस्यों को प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा इस असाधारण सामान्य बैठक के लिए उपलब्ध नहीं है, अत: प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं.

iii. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की किसी बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति बैंक को investors@centralbank.co.in पर ई-मेल के माध्यम से बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 25 जून, 2021 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक न भेज दी जाए.

iv. **बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है.**

v. **ई-मेल आईडी और बैंक खाता विवरणों का पंजीकरण :**

यदि शेयरधारक का ई-मेल आईडी पहले ही बैंक / उसका पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट ''आरटीए''/ डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है तो ई-वोटिंग के लॉग-इन विवरण उस पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे.

यदि शेयरधारक ने अपना ई-मेल आईडी बैंक / उसका रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट ''आरटीए'' / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं किया है अथवा डिविडंड, यदि भविष्य में घोषित किया जाता है, के प्राप्ति के लिए बैंक खाता अधिदेश अद्यतन नहीं किया है, तो निम्न अनुदेशों का पालन करें:

(i) कृपया हमारा आरटीए, लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर इन्वेस्टर सर्विसेस-ई-मेल / बैंक डिटेल रजिस्ट्रेशन पर लॉग-इन करें. विवरण भरें और आवश्यक कागज़ात अपलोड कर, सबमिट करें. **अथवा**

(ii) **यदि शेयर डीमेट स्वरूप में रखें गये हैं:**

शेयरधारक कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपंट (''डीपी'') से संपर्क करें और डीपी में प्रचलित और उनके द्वारा सूचित पद्धति के अनुसार डीमेट खाते में ई-मेल आईडी और बैंक खाता विवरण पंजीकृत करें.

vi. उक्त वर्णित एमसीए परिपत्रों तथा सेबी द्वारा दिनांक 12 मई, 2020 (यथा संशोधित, यदि कोई हो) को जारी परिपत्र के अनुसार असाधारण सामान्य बैठक की सूचना सिर्फ इलेक्ट्रानिक पद्धति से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके -मेल आईडी बैंक / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं. सदस्य नोट करें कि असाधारण सामान्य बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर इन्वेस्टर रिलेशन्स लिंक के अंतर्गत, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. तथा बीएसई लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं. सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक में सिर्फ वीसी/ ओएवीएम सुविधा से ही उपस्थिति और सहभागिता कर सकते हैं.

vii. ई-वोटिंग और असाधारण सामान्य बैठक से जुड़ने के लिए निम्न अनुदेश हैं:

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक में उपस्थित रहने वाले शेयरधारक /सदस्यों के लिए अनुदेश:

1) शेयरधारक / सदस्य लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. द्वारा प्रदत्त वीसी / ओएवीएम के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक में उपस्थित रहने हेतु निम्न प्रक्रिया करने के बाद पात्र होंगे. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक से जुड़ने की सुविधा असाधारण सामान्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनिट पूर्व खुल जायेगी और सदस्यों को ''पहलेआयें, पहले पायें'' के आधार पर उपलब्ध होगी.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

2020 and Circular No. 2 dated January 13, 2021 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of Extra-ordinary General Meeting through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Extra-ordinary General Meeting of the Members of the Bank is being held through VC/OAVM.

ii. Pursuant to the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, a Member entitled to attend and vote at the Extra-ordinary General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this EGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the Extra-ordinary General Meeting and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to the Notice.

iii. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been sent to the Bank through e-mail at investors@centralbank.co.in not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 25th June, 2021.

iv. **No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.**

v. **Registration of email ID and Bank Account details:**

In case the shareholder's email ID is already registered with the Bank/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

In case the shareholder has not registered his/her/their email address with the Bank/its RTA/Depositories or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend if declared in future, the following instructions are to be followed:

(i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/Bank detail Registration - fill in the details and upload the required documents and submit. **OR**

(ii) **In the case of Shares held in Demat mode:**

The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

vi. The Notice of the Extra-ordinary General Meeting is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Bank/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI dated May 12, 2020(as amended if any). Members may note that the Notice of Extra-ordinary General Meeting will also be available on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in under the link investor relations; websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited. Members can attend and participate in the Extra-ordinary General Meeting through VC/OAVM facility only.

vii. Instructions for e-voting and joining the Extra-ordinary General Meeting are as follows:

Instructions for Shareholders/Members to attend the Extra-ordinary General Meeting through VC/OAVM:

1) Shareholders/Members are entitled to attend the Extra-ordinary General Meeting through VC/OAVM provided by Link Intime India Pvt. Limited by following the below mentioned process. Facility for joining the Extra-ordinary General Meeting through VC/OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the Extra-ordinary General Meeting and will be available to the Members on first come first serve basis.

Shareholders/Members are requested to participate on first come first serve basis as participation through VC/OAVM is limited and will be closed on expiry of 15 (fifteen) minutes from the scheduled time of the Extra-ordinary General Meeting. Shareholders/Members with >2% shareholding, Promoters, Institutional Investors, Directors,

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

शेयरधारक/सदस्यों से अनुरोध है कि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से सहभागिता सीमित होने के कारण ''पहलेआयें पहले पायें'' के आधार पर सहभागिता करें और यह सुविधा असाधारण सामान्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनिट पश्चात बंद की जायेगी. 2% से अधिक शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक/सदस्य, प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, केएमपी, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रामिक समिति, स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष तथा लेखापरीक्षक आदि को बैठक में ''पहलेआयें, पहले पायें'' के प्रतिबंध के बिना अनुमति दी जाएगी. सदस्य बैठक के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनिट पूर्व लॉग-इन कर बैठक में जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए विन्डो निर्धारित समय के पश्चात 15 (पंद्रह) मिनिट तक खुली रहेगी. सहभागिता सिर्फ 2500 सदस्यों तक ही सीमित हैं.

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित रहने हेतु शेयरधारक/सदस्यों को 'इन्स्टामीट" सुविधा प्रदान की जाएगी. जिसमें शेयरधारक/सदस्यों को निम्नानुसार अपने विवरण पंजीकृत कर असाधारण सामान्य बैठक में उपस्थित रहना होगा:

1. इंटरनेट ब्राउज़र खोलकर, इन्स्टामीट के लिए यूआरएल <<https://instameet.linkintime.co.in>> डालें और निम्न विवरण पंजीकृत करें:

   ए. डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी अथवा लाभार्थी आईडी अथवा फोलियो नं.: आपका बैंक के साथ पंजीकृत 16 आंकड़ों वाला डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी अथवा लाभार्थी आईडी अथवा फोलियो नं. प्रविष्ट करें.

   बी. पैन : आपका 10 डिजिट का स्थायी खाता नंबर प्रविष्ट करें.

   सी. मोबाइल नंबर.

   डी. ई-मेल आईडी

2. ''गोटू मिटिंग'' पर क्लिक करें.

नोट :

बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों/सदस्यों से अनुरोध है कि ब्राडबैंड से जुड़े टेबलेट / लैपटॉप के माध्यम से बैठक में जुड़े.

बैठक के दौरान व्यवधान से बचने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों द्वारा अच्छी स्पीड (अधिमानतः 2 एमबीपीएस डाऊनलोड स्ट्रीम) के इंटरनेट का प्रयोग करना अपेक्षित है.

कृपया ध्यान दें कि मोबाईल हॉट स्पॉट के जरिए मोबाईल / टेबलेट/ लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को नेटवर्क उतार-चढ़ाव के कारण दृश्य-श्रव्य में व्यवधान हो सकता है. अतः उक्त खामियों को दूर करने हेतु स्थिर वाई-फाय अथवा लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है.

यदि शेयरधारकों/सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न या समस्या है तो आप instameet@linkintime.co.in पर ई-मेल करें अथवा टेलीफोन 022-4918 6175 पर कॉल करें.

असाधारण सामान्य बैठक के दौरान स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकरण करवाने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों के लिए अनुदेश :

बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने वाले शेयरधारक/सदस्य स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करने के लिए अपना अनुरोध ई-मेल smmbd@centralbank.co.in पर दिनांक 23.06.2021 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनांक 25.06.2021 को सायं 5.00 बजे तक अपने नाम, डीमेट खाता नंबर / फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर के साथ भेजें.

बैठक के दौरान वक्ताओं को ''पहलेआयें पहले पायें'' के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

बैठक के लिए उपस्थिति दर्ज करने के बाद शेयरधारकों को ''स्पीकिंग सीरियल नंबर'' प्राप्त होगा. अन्य शेयरधारक बैठक के दौरान सक्रिय चैट-बोर्ड के माध्यम से पैनलिस्ट से प्रश्न पूछ सकते हैं. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बोलते हुए सीरियल नंबर याद रखें और डिवाइस के वीडियो मोड और ऑडियो को चालू करके पैनलिस्ट के साथ बातचीत शुरू करें. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे तभी बोलें जब बैठक का मॉडरेटर /प्रबंधन बोलने के लिए नाम और क्रमांक की घोषणा करेगा.

शेयरधारक/सदस्य, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने प्रश्न पहले ही ई-मेल smmbd @centralbank.co.in पर अपने नाम, डीमेट खाता नंबर / फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर के साथ भेज सकते हैं. इनका जवाब बैंक द्वारा समुचित ढंग से दिया जाएगा.

नोट :

बैठक के दौरान, सिर्फ वक्ता के रूप में पंजीकृत शेयरधारकों/सदस्यों को ही अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी. बैंक असाधारण सामान्य बैठक हेतु उपलब्ध समय के अनुसार वक्ताओं की संख्या सीमित रखने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है.

बैठक के दौरान व्यवधान से बचने हेतु शेयरधारकों / सदस्यों को कैमेरा और अच्छी स्पीड (अधिमानतः 2 एमबीपीएस डाऊनलोड स्ट्रीम) के इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति है.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

KMPs, Chair Persons of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee and Auditors etc. may be allowed to the meeting without restrictions of first-come-first serve basis. Members can log in and join 15 (fifteen) minutes prior to the schedule time of the meeting and window for joining shall be kept open till the expiry of 15 (fifteen) minutes after the schedule time. Participation is restricted upto 2500 members only.

Shareholders/ Members will be provided with InstaMeet facility for attending the EGM through VC/OAVM wherein Shareholders/ Member shall register their details and attend the Extra-ordinary General Meeting as under:

1. Open the internet browser and launch the URL for InstaMeet <<https://instameet.linkintime.co.in>> and register with your following details:
   a. DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio No.: Enter your 16 digit DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio Number registered with the Bank
   b. PAN: Enter your 10 digit Permanent Account Number (PAN)
   c. Mobile No.
   d. Email ID
2. Click "Go to Meeting"

Note:

Shareholders/ Members are encouraged to join the Meeting through Tablets/ Laptops connected through broadband for better experience.

Shareholders/ Members are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

Please note that Shareholders/Members connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Visual loss due to fluctuation in their network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6175.

Instructions for Shareholders/Members to register themselves as Speakers during Extra-ordinary General Meeting:

Shareholders/ Members who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail: smmbd@centralbank.co.in from 23.06.2021 at 10.00 am to 25.06.2021 at 5.00 pm.

The Speakers on first come basis will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

Shareholders will receive "speaking serial number" once they mark attendance for the meeting. Other shareholder may ask questions to the panelist, via active chat-board during the meeting. Shareholders are requested to remember speaking serial number and start conversation with panellist by switching on video mode and audio of the device. Shareholders are requested to speak only when moderator of the meeting/ management will announce the name and serial number for speaking.

Shareholders/ Members, who would like to ask questions, may send their questions in advance mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail : smmbd@centralbank.co.in . The same will be replied by the Bank suitably.

Note:

Those shareholders/members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the Extra-ordinary General Meeting.

Shareholders/ Members should allow to use camera and are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

असाधारण सामान्य बैठक के दौरान इन्स्टामीट के माध्यम से वोट करने हेतु शेयरधारकों / सदस्यों को अनुदेश :

बैठक के दौरान जब जांचकर्ता(स्क्रुटिनाइजर) द्वारा इलेक्ट्रानिक वोटिंग सक्रिय किया जाएगा तब जिन शेयरधारकों/सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है वे निम्नानुसार अपना वोट दे सकेंगे :

1. शेयरहोल्डर्स वीसी पेज पर ई-वोटिंग के लिए ''कास्ट यूवर वोट'' लिंक पर ई-वोटिंग के लिए क्लिककरें.
2. डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या और ''इन्स्टामीट'' के पंजीकरण के दौरान (पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ई-मेल आईडी पर प्राप्त) ओटीपी प्रविष्ट करें और **''सबमिट''** पर क्लिक करें.
3. सफल (सक्सेसफुल) लॉग इन के पश्चात आपको मतदान करने के लिए ''रिजोल्युशन डिस्क्रीपशन'' और उसके सामने ''फेवर/ अगेन्स्ट'' का विकल्प दिखायी देगा.
4. अपने इच्छित विकल्प अर्थात ''फेवर/ अगेन्स्ट'' का चयन कर अपना वोट दें. नियत (कट ऑफ) तारीख पर शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाती है) ''फेवर/ अगेन्स्ट'' में प्रविष्ट करें.
5. आपके निर्णय के अनुसार ''फेवर/ अगेन्स्ट'' में से उचित विकल्प का चयन करने पर ''सेव'' क्लिक करें. ''कन्फरमेंशन बॉक्स'' दिखेगा. अगर आप अपने वोटों की पुष्टि करना चाहते है, तो ''कन्फर्म'' पर क्लिक करें, अगर परिवर्तन करना चाहते है तो ''बैंक'' पर क्लिक कर, अपने वोट में सुधार करें.
6. आपके द्वारा एक बार संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात, आपको अपने वोट में परिवर्तन अथवा सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

नोट :

''इन्स्टामीट'' सुविधा के जरिए वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक में जो शेयरधारक/सदस्य उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने संकल्प पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और जो अन्यथा ऐसा करने के लिए वर्जित नहीं हैं, वे बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट देने हेतु पात्र होंगे.

असाधारण सामान्य बैठक से पूर्व जिन शेयरधारकों /सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट दिया हैं, वे असाधारण सामान्य बैठक में इन्स्टामीट सुविधा के जरिए वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित रहने/सहभागिता करने हेतु पात्र होंगे. तथापि, वे बैठक के दौरान पुनः वोट देने हेतु पात्र नहीं होंगे.

यदि शेयरधारकों/सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न या समस्या है तो आप instameet@linkintime.co.in पर ई-मेल करें अथवा टेलीफोन 022-4918 6175 पर कॉल करें.

3. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 44 सह पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुपालन में बैंक, वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. बैंक द्वारा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि., बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, दिनांक 27 जून, 2021 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से मंगलवार, दिनांक 29 जून, 2021 को सायं 5.00 बजे तक है. इस अवधि के दौरान नियत (कट ऑफ) तारीख अर्थात बुधवार , दिनांक 23 जून, 2021 को भौतिक रूप से या डीमेट रूप में शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारक अपने वोट इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकते हैं. तत्पश्चात, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की यह सुविधा बंद की जाएगी.

डीमैट मोड/भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और लॉग इन के लिए प्रक्रिया और निर्देश नीचे दिए गए हैं:

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

Instructions for Shareholders/Members to Vote during the Extra-ordinary General Meeting through InstaMeet:

Once the electronic voting is activated by the scrutiniser during the meeting, shareholders/ members who have not exercised their vote through the remote e-voting can cast the vote as under:

1. On the Shareholders VC page, click on the link for e-Voting "Cast your vote".
2. Enter Demat Account No. / Folio No. and OTP (received on the registered mobile number/ registered email Id) received during registration for InstaMeet and click on '**Submit**'.
3. After successful login, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting.
4. Cast your vote by selecting appropriate option i.e. "Favour/Against" as desired.

   Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/Against'.
5. After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on "Save". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "Confirm", else to change your vote, click on "Back" and accordingly modify your vote.
6. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.

Note:

Shareholders/ Members, who will be present in the Extra-ordinary General Meeting through VC/OAVM by InstaMeet facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting facility during the meeting.

Shareholders/ Members who have voted through Remote e-Voting prior to the Extra-ordinary General Meeting will be eligible to attend/participate in the Extra-ordinary General Meeting through InstaMeet. However, they will not be eligible to vote again during the meeting.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6175.

3. REMOTE E-VOTING

In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and in compliance with SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Link Intime India Pvt. Limited, Registrar and Share Transfer agent of the Bank to facilitate remote e-voting.

The remote e-voting period begins on Sunday, 27th June 2021 at 10.00 AM and ends on Tuesday, 29th June 2021 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Wednesday, 23rd June 2021, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

The process and instructions for remote e-voting and login method for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given below: :

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

❖ डीमैट मोड/भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉग-इन नीचे दिया गया है: -

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग इन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	• यदि शेयरधारक पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत है, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट देखें. पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर URL https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें. एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, ''लॉग इन'' के तहत ''बेनिफिशियल ओनर'' आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएएस' सेक्शन के पर उपलब्ध है. एक नई स्क्रीन खुलेगी. शेयरधारक को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा. • सफल प्रमाणीकरण के बाद, शेयरधारक ई-वोटिंग सेवाओं को देख सकेंगे. ई-वोटिंग सेवाओं के तहत ''एक्सेस टू ई-वोटिंग'' पर क्लिक करें और फिर आप ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे. बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें और शेयरधारक को ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी लिंक इनटाइम वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा. • यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। ''आईडीईएएस'' पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं. पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, ''लॉग इन'' आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नई स्क्रीन खुलेगी. शेयरधारक को अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है. सफल प्रमाणीकरण के बाद, शेयरधारक को एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां वह ई-वोटिंग पेज देख सकता है. बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें और वह रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट यानी https://instavote.linkintime.co.in पर चला जायेगा.
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	• मौजूदा उपयोगकर्ता, जिन्होंने ईज़ी/ईज़ीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैं. बगैर किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग इन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com हैं और न्यू सिस्टम मायसी पर क्लिक करें। • ईज़ी/ईज़ीएस्ट के सफल लॉग इन के बाद, उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेन्यू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी लिंक इनटाइम के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें। • यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi./Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। • वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई वोटिंग जारी है।
वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) और अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपंट के माध्यम से लॉग इन करें	• शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉग इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉग इन कर सकते हैं. • लॉग इन करने के बाद, शेयरधारक ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। एक बार जब वह ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करता है, तो उसे सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां वह ई-वोटिंग सुविधा देख सकता है। बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए उन्हें ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर वापस भेज (रीडायरेक्ट कर) दिया जाएगा.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

❖ **Login for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given below :-**

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	• If shareholder is already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. Shareholder will have to enter your User ID and Password. • After successful authentication, Shareholder will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or Link Intime name and shareholder will be re-directed to e-Voting service provider i.e. Link Intime website for casting of the vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. • If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp • Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. Shareholder will have to enter their User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, shareholder will be redirected to NSDL Depository site wherein he/she can see e-Voting page. Click on Bank name or Link Intime name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website i.e. https://instavote.linkintime.co.in for casting his/her vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	• Existing user of who have opted for Easi / Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi. • After successful login of Easi / Easiest the user will be also able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of e-Voting service provider i.e. Link Intime. Click on Link Intime name to cast your vote. • If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi./Registration/EasiRegistration • Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the E Voting is in progress.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) & login through their depository participants	• Shareholder can also login using the login credentials of his/her demat account through their Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. • Once login, shareholder will be able to see e-Voting option. Once he/she click on e-Voting option, he/she will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein he/she can see e-Voting feature. Click on Bank name or Link Intime name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग इन विधि
भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1. इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और URL https://instavote.linkintime.co.in लॉन्च करें: ► 'शेयर होल्डर' टैब के अंतर्गत ''साइन अप'' पर क्लिक करें और अपने निम्नलिखित विवरण के साथ पंजीकरण करें: ए. **यूजर आईडी: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक/सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत इवेंट नंबर + फोलियो नंबर प्रदान करेंगे.** बी. पैन: अपना 10 अंकीय स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करें (जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी)/कंपनी के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, यदि लागू हो तो आपको प्रदान की गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करेंगे. सी. जन्मतिथि/डीओआई: जन्म तिथि (डीओबी) / निवेश की तिथि (डीओआई) (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में)दर्ज करें (जैसा कि आपके डीपी / कंपनी के पास दर्ज किया गया है . डी. बैंक खाता संख्या: अपना बैंक खाता संख्या (अंतिम चार अंक) दर्ज करें, जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के पास दर्ज है. • भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले लेकिन 'सी' और 'डी' के रूप में दर्ज नहीं किए गए शेयरधारकों/सदस्यों को ऊपर 'डी' में अपना फोलियो नंबर प्रदान करना होगा ► अपनी पसंद का पासवर्ड सेट करें (पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, कम से कम एक विशेष वर्ण (@!#$&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक अक्षर और कम से कम एक बड़े अक्षर का होना चाहिए। ► ''कन्फर्म करें'' पर क्लिक करें (आपका पासवर्ड अब सृजित हो चुका है)। 2. 'शेयर धारक' टैब के अंतर्गत 'लॉग इन' पर क्लिक करें. 3. अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और इमेज वेरिफिकेशन (कैप्चा) कोड दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें. 4. सफल लॉग इन के बाद, आप ई-वोटिंग के लिए अधिसूचना देख सकेंगे। 'व्यू' आइकन चुनें। 5. ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा. 6. संकल्प विवरण (रिज़ोल्युशन डिस्क्रिप्शन) देखें और अपने वांछित विकल्प 'फेवर / अगेंस्ट' का चयन करके अपना वोट दें (यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'व्यू रिज़ॉल्यूशन' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें). 7. वांछित विकल्प यानी 'फेवर / अगेंस्ट' का चयन करने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'हां(यस)' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, 'नहीं(नो)' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.

यदि भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले शेयरधारक अपना पासवर्ड भूल जाते है :

- 'शेयर होल्डर' टैब के अंतर्गत 'लॉग इन' पर और आगे पासवर्ड फरगॉटन? पर क्लिक करें
- यूजर आईडी प्रविष्ट करें, मोड का चयन कर इमेज वेरिफिकेशन कोड (कैपचा) प्रविष्ट करें और ''सबमिट'' पर क्लिक करें.

  यदि शेयरधारक के पास वैध ई-मेल आईडी है, तो पासवर्ड शेयरधारक के पंजीकृत ई-मेल पर भेजा जाएगा. अन्यथा, शेयरधारक सुरक्षा प्रश्न एवं जवाब, पैन, जन्म तिथि / निवेश तिथि, डिविडंड बैंक विवरण आदि की सूचना देकर अपनी रुचि के अनुसार पासवर्ड तैयार कर पुष्टि करें. (पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरेक्टर हो, जिनमें कम-से-कम एक स्पेशल कैरेक्टर (@!#$&*), कम-से-कम एक अंक, कम-से-कम एक अक्षर और कम-से-कम एक कैपिटल लेटर हों.)

नोट :

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए यह विवरण सिर्फ इस सूचना में दिये गये संकल्प के वोटिंग हेतु है.

यह प्रबल संस्तुति की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Physical mode.	1. Open the internet browser and launch the URL: https://instavote.linkintime.co.in ▸ Click on **"Sign Up"** under **'SHARE HOLDER'** tab and register with your following details: - **A. User ID**: Shareholders/ members holding shares in **physical form shall provide** Event No + Folio Number registered with the Company. **B. PAN**: Enter your 10-digit Permanent Account Number (PAN) (Members who have not updated their PAN with the Depository Participant (DP)/ Company shall use the sequence number provided to you, if applicable. **C. DOB/DOI:** Enter the Date of Birth (DOB) / Date of Incorporation (DOI) (As recorded with your DP / Company - in DD/MM/YYYY format). D. Bank Account Number: Enter your Bank Account Number (last four digits), as recorded with your DP/Company. • Shareholders/ members holding shares in physical form but have not recorded 'C' and 'D', shall provide their Folio number in 'D' above ▸ Set the password of your choice (The password should contain minimum 8 characters, at least one special Character (@!#$&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter). ▸ Click "confirm" (Your password is now generated). 2. Click on 'Login' under **'SHARE HOLDER'** tab. 3. Enter your User ID, Password and Image Verification (CAPTCHA) Code and click on **'Submit'.** 4. After successful login, you will be able to see the notification for e-voting. Select **'View'** icon. 5. E-voting page will appear. 6. Refer the Resolution description and cast your vote by selecting your desired option **'Favour / Against'** (If you wish to view the entire Resolution details, click on the **'View Resolution'** file link). 7. After selecting the desired option i.e. Favour / Against, click on **'Submit'.** A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on **'Yes',** else to change your vote, click on 'No' and accordingly modify your vote.

If Shareholders holding shares in Physical Form have forgotten password:

- Click on 'Login' under 'SHARE HOLDER' tab and further Click 'forgot password?'
- Enter User ID, select Mode and Enter Image Verification code (CAPTCHA). Click on "SUBMIT".

Incase shareholder is having valid email address, Password will be sent to the shareholder's registered e-mail address. Else, shareholder can set the password of his/her choice by providing the information about the particulars of the Security Question & Answer, PAN, DOB/ DOI, Dividend Bank Details etc. and confirm. (The password should contain minimum 8 characters, at least one special character (@!#$&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter)

NOTE:

For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for voting on the resolutions contained in this Notice.

It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक यदि पासवर्ड भूल गए हैं:

शेयरधारक/सदस्य जो यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपंट की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

- **अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में दें**

1. सफल रिडायरेक्ट होने के पश्चात, इन्स्टा वोट के होम पेज पर आपको ई-वोटिंग का नोटिफिकेशन दिखायी देगा. वोट देने के लिए बैंक का ''इवेन्ट नंबर'' चयन करें या देखें (सिलेक्ट/व्यू).

2 वोटिंग पेज पर आपको ''रिजोल्युशन डिस्क्रीपशन'' दिखायी देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए ''फेवर/अगेन्स्ट'' का विकल्प दिखायी देगा. उचित विकल्प अर्थात् इच्छानुसार ''फेवर/अगेन्स्ट'' का चयन कर अपना वोट दें.

कट ऑफ तारीख पर शेयर की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाती है) ''फेवर/ अगेन्स्ट'' में प्रविष्ट करें. आप ''अलग रखना(अबस्टेन)'' के विकल्प का भी चयन कर सकते है, तो धारित शेयर्स ''फेवर/ अगेन्स्ट'' के लिए नहीं गिने जायेगें.

3. यदि आप पूरा संकल्प विवरण देखना चाहते है, तो ''व्यू रिज़ोल्यूशन'' फाइल लिंक पर क्लिक करें.

4. आपने वोट देने का निर्णय लिया है तो ''फेवर/ अगेन्स्ट'' में से उचित विकल्प का चयन करने पर 'सबमिट' क्लिक करें. ''कन्फरमेशन बॉक्स'' दिखेगा. अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते है, तो ''हां (यस)'' पर क्लिक करें, अगर परिवर्तन करना चाहते है तो ''नहीं (नो)'' पर क्लिक कर, अपने वोट में संशोधन करें.

5. आपके द्वारा एक बार संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात आपको अपने वोट में परिवर्तन अथवा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

6. वोटिंग पृष्ठ पर ''प्रिंट'' विकल्प का चयन कर, अपने दिये गये वोट का 'प्रिंट आउट' भी ले सकते हैं.

- **संस्थागत शेयरधारकों के लिए दिशानिर्देश:**

  - संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) एवं अभिरक्षक को एलआईआईपीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में https://instavote.linkintime.co.in पर लॉग-इन कर अपने आपको ''अभिरक्षक (कस्टोडियन) /म्युच्युअल फंड/ कॉर्पोरेट निकाय'' के तौर पर पंजीकृत करना होगा.

    उन्हें बोर्ड का संकल्प / प्राधिकार पत्र/ मुख्तारनामा आदि की स्कैन की गयी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि, साथ ही विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, पीडीएफ प्रारूप में **''अभिरक्षक (कस्टोडियन)/म्युच्युअल फंड/ कॉर्पोरेट निकाय''** लॉग-इन में अपलोड करने होंगे, ताकि जांचकर्ता (स्क्रूटिनाइज़र) उसे सत्यापित कर सकें.

- **सभी शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश**

  - वोटिंग अवधि के दौरान शेयरधारक उस विशिष्ट ''इवेंट'' के लिए संकल्प(ल्पों) हेतु वोट करने तक कई बार लॉग-इन कर सकते हैं.
  - विभिन्न फोलियों/डीमेट खाता रखनेवाले शेयरधारक, प्रत्येक फोलियो/डीमेट खाते के लिए स्वतंत्र रूप से वोटिंग प्रक्रिया को चुन सकते हैं.
  - डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क:

    यदि शेयरधारकों/सदस्यों के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने के लिए डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल के माध्यम से लॉग इन करने से संबंधित कोई तकनीकी समस्या है, तो वे नीचे दिए गए संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:

लॉग इन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉग इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
सीएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉग इन में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 या 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

  - यदि शेयरधारकों / भौतिक रूप में प्रतिभुतियां रखने वाले शेयर धारक सदस्य / संस्थागत शेयरधारकों को ई-वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न या समस्या है तो https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प सेक्शन में उपलब्ध बार-बार पूछे जानेवालेप्रश्न (''एफएक्यू'') और इन्स्टावोट ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल करें अथवा टेलीफोन नं. : 022-49186000 पर संपर्क करें.

II. शेयर धारकों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख अर्थात् बुधवार, दिनांक 23 जून, 2021 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे. तथापि, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर, बैंक का अन्य कोई भी शेयरधारक उसके धारित शेयरों के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक, वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL/ CDSL have forgotten the password:

Shareholders/ members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned depository/ depository participants website.

- **Cast your vote electronically**

1. After successful redirecting, you will be able to see the notification for e-voting on the home page of INSTA Vote. Select/ View "Event No" of the Bank, you choose to vote.
2. On the voting page, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting.

   Cast your vote by selecting appropriate option i.e. Favour/Against as desired.

   Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/Against'. You may also choose the option 'Abstain' and the shares held will not be counted under 'Favour/Against'.
3. If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolutions' File Link.
4. After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "YES", else to change your vote, click on "NO" and accordingly modify your vote.
5. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on "Print" option on the Voting page.

- **Guidelines for Institutional shareholders:**

  - Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to e-Voting system of LIIPL: https://instavote.linkintime.co.in and register themselves as **'Custodian / Mutual Fund / Corporate Body'.**

    They are also required to upload a scanned certified true copy of the board resolution / authority letter/power of attorney etc. together with attested specimen signature of the duly authorised representative(s) in PDF format in the **'Custodian / Mutual Fund / Corporate Body' login** for the Scrutinizer to verify the same.

- **General Guidelines for all shareholders:**

  - During the voting period, shareholders can login any number of time till they have voted on the resolution(s) for a particular "Event".
  - Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each of the folios/demat account.
  - Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode:

    In case shareholders/ members holding securities in demat mode have any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL/ CDSL, they may contact the respective helpdesk given below:

Login type	**Helpdesk details**
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 22-23058542-43.

  - In case the shareholders/ members holding securities in physical mode/ Institutional shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel : 022 - 49186000.

II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. Wednesday, 23rd June, 2021. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

III. ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात **बुधवार, दिनांक** 23 **जून,** 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में रिकार्ड किया गया है, सिर्फ वह रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा के लिए पात्र होगा.

IV. ऐसा व्यक्ति, जो बैठक की सूचना ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने के पश्चात बैंक का सदस्य बना हो तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, दिनांक 23 जून, 2021 को शेयर धारण करता हो, उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है.

V. इस सूचना की प्रति, बैंक की वेबसाइट एवं लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.

VI. रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु, कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत मेहता एण्ड मेहता कंपनी के श्री अतुल मेहता को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.

VII. जांचकर्ता द्वारा ई-वोटिंग करने की अवधि की समाप्ति से दो (2) कार्यदिवस से अनधिक अवधि के भीतर न्यूनतम दो (2) गवाहों, जो बैंक के नियोजन में नहीं हैं, की उपस्थिति में मतों की गणना की जाएगी और मतों की जांच रिपोर्ट, चाहे वह पक्ष में अथवा विरूद्ध, जैसी भी हो, तैयार कर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जायेगी.

VIII. जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं लिंक इनटाइमइंडिया प्रा.लिकी वेबसाइट पर बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में संकल्प परित करने के दो (2) कार्य दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.

4. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा / होगी.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रुप में पंजीकृत है, अपना हाथ दिखाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

5. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अत: यदि शेयर्स संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने का हकदार होगा.

6. वैठक का परिणाम:

संकल्प के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट मिलने की स्थिति में, इस संकल्प को ईजीएम की तिथि पर बैंक के प्रधान कार्यालय में पारित माना जाएगा.

7. वैठक की अभिलिखित प्रतिलिपि / कार्यवृत्त

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित ईजीएम की कार्रवाई को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन के अंतर्गत यथा शीघ्र उपलब्ध करवा दिया जाएगा.

8. भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना:

जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अत: शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें. आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा, जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है. शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि. साथ ही, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, भले ही आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों.

9. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश वारंट नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में घोषित लाभांश में से लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से सात(7) वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Wednesday, 23rd June, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at EGM.

IV. Any person who becomes a member of the Bank after sending of the Notice of the Meeting vide e-mail and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 23rd June 2021, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.

V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and also on the website of Link Intime India Pvt. Limited.

VI. Shri Atul Mehta of Mehta & Mehta, Company Secretary in practice has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding two(2) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.

VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of Link Intime India Pvt. Limited within two (2) working days of passing of the resolution at the EGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

4. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

5. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

6. Outcome of Meeting:

The resolution shall be deemed to be passed at the Head Office of the Bank on the date of EGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolutions.

7. Recorded Transcript/Proceeding of the Meeting:

Proceeding of EGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank www.centralbankofindia.co.in under Investor Relations section as soon as possible.

8. Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

9. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend declared earlier are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank.

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

व्याख्यात्मक कथन:

एक शेयरधारक निदेशक का चयन

- **निदेशकों के चयन करने के शेयरधारकों के अधिकार**

  भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की शेयरधारिता बैंक की कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से कम है. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल सामान्य बैठक में उनके शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा) का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक को शामिल करेगा. वर्तमान शेयरधारक निदेशक अर्थात् श्रीमती मिनी आईप 30 जून 2021 तक निदेशक पद पर हैं और वह 1 जुलाई 2021 से कार्यालय रिक्त कर देंगी. तदनुसार उक्त वर्णित रिक्ति को भरने हेतु केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों द्वारा एक निदेशक का चयन किया जाना आवश्यक है.

  अत: ईजीएम की सूचना में शेयरधारको के प्रतिनिधि के रूप में एक निदेशक का चयन करने हेतु आवश्यक संकल्प पारित करने की मद कार्यसूची में रखी गयी है.

  अत: शेयरधारक (केंद्र सरकार से अन्य) अधिनियम,विनियामक अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना, संबन्धित प्रावधानों में वर्णित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने के हकदार हैं. नामांकनों की छानबीन के पश्चात एक निदेशक का चयन किया जाएगा (यदि पात्र नामांकनों की संख्या और रिक्तियों की संख्या समान है) अथवा यदि अधिक प्रत्याशी हैं तो दिनांक 30 जून, 2021 के तदनुषंगी चुनाव में यह चयन किया जाएगा. निर्वाचित निदेशकों को 1 जुलाई 2021 से कार्यग्रहण करना है एवं कार्यग्रहण करनेके दिनांक से तीन वर्षों की अवधि तक पद धारण करेंगे.

- **कानूनी प्रावधान**

  निम्न तालिका इस सम्बंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट प्रावधानों को दर्शाती है:

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बेंकिग विनियम अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन से ई)	• सारभूत हित
	धारा 16 (1)	• सामान्य निदेशकों हेतु निषेध
	धारा 20	• किसी भी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम देने के लिए प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई)	• वोटिंग अधिकार पर प्रतिबन्ध
	धारा 9(3)(i)	• शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों की संख्या
	धारा 9(3ए)	• कुछ क्षेत्रों का विशेष ज्ञान
	(ए) से (सी) धारा 9(3एए)	• निर्वाचित होने के लिए कोई व्यक्ति तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह व्यक्ति आरबीआई द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकॉर्ड, ईमानदारी और ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर उपयुक्त और उचित स्थिति वाला नहीं है.
	धारा 9(3एबी)	• उप धारा (3एए) के तहत आरबीआई अधिसूचना जारी कर स्पष्ट कर सकता है कि उपयुक्त और उचित स्थिति निर्धारित करनेवाले प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण की पद्धति, ऐसे निर्धारण एवं अन्य मामले जो आवश्यक अथवा प्रासंगिक हो, हेतु प्रक्रिया
	धारा 9(3बी)	• इस प्रकार निर्वाचित निदेशक को हटाने के लिए आरबीआई का अधिकार जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3 ए) और 9 (3 एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है.
	धारा 13(2)	• निष्ठा और गोपनीयता के रूप में दायित्व

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

EXPLANATORY STATEMENT

ELECTION OF ONE SHAREHOLDERS' DIRECTOR

- **RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS**

  Shareholding of the members other than the President of India (Government of India) is below sixteen per cent of the total paid-up capital of the Bank. As per Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Board of Directors of Central Bank of India shall include one Director representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in the general meeting. The present Shareholder Director namely Smt. Mini Ipe hold office of directorship till 30th June 2021and she will vacate the office from 1st July 2021. Accordingly, one director is required to be elected by the shareholders other than Central Government to fill up the aforesaid vacancy.

  Therefore, an item of agenda is included in the Notice for the EGM to pass necessary resolution for election of one director representing the shareholders of the Bank.

  The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in the Act, Regulation Act, Scheme, Regulations, Notification, the relevant provisions of which are indicated hereunder. One director will be elected either after the scrutiny of the nominations (if the number of valid nominations are equal to the number of vacancies) or in subsequent election on 30th June, 2021, if there are more contestants. The elected directors shall be deemed to have assumed office from 1st July 2021 and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

- **LEGAL PROVISIONS**

  The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulations / Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	• Substantial interest • Prohibition of common Directors • Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9 (3A) (A) to (C) Section 9 (3AA)	• Restriction on voting rights • No. of directors to be elected by the shareholders • Special Knowledge in certain fields • No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe
	Section 9 (3AB)	• RBI may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.
	Section 9 (3B) Section 13(2)	• Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Sections 9 (3A) and 9(3AA) of the said Act. • Obligation as to fidelity and secrecy

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11 बी खंड 12 (8)	• निर्वाचित निदेशकों के कार्यकाल • बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की अयोग्यता • निदेशक के कार्यालय का अवकाश • निर्वाचित निदेशक के पद से हटाया जाना • निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरना • निदेशकों द्वारा कुछ व्यवस्थाओं में हित का प्रकटीकरण जिसमें वे रुचि रखते हैं.
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	• संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग • साधारण बैठकों में वोटिंग • साधारण बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक • शेयरधारकों की सूची • चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन • नामांकनों की छानबीन • चुनाव विवाद • मतदान अधिकारों का निर्धारण • विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान • प्रोक्सी
आरबीआई मास्टर निर्देश अधिसूचना संख्या डीबीआर.एपीपीटी.सं: 9/29.67.001/2019-20 के माध्यम से जारी पीएसबी के बोर्डों में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'फिट और उचित' मानदंड पर निर्देश दिनांक 2 अगस्त 2019	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) और धारा 9 (3एबी) के अनुसार	• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मंडलों हेतु चयनित निदेशकों के लिए उपयुक्त एवं उचित मानदंड
वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में नामित सरकारी निदेशक के माध्यम से जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या एफ.सं.16/83/2013-बीओआई दिनांक 03 सितंबर 2013 और संदर्भ संख्या एफ.सं. 16/51/2012-बीओ.I दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नॉन-ओफिसियल निदेशक की नियुक्ति के लिए मानदंडों को भारत सरकार के दिशानिर्देशो को 25 मार्च 2015 को जारी किया गया है (बाद में ''भारत सरकार के दिशानिर्देश'' के रूप में संदर्भित और इसमें और संशोधन यदि कोई हो)		• बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में उनके कर्तव्य का वृहत पारदर्शिता और जनहित में निर्वहन के लिए शेयरधारक निदेशकों के चयन करने के लिए. इस सन्दर्भ में अंशकालिक, गैर आधिकारिक निदेशक की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 01 जून 2011 के दिशा-निर्देशों एवं उसके बद में वर्णित संशोधनो में उम्मीदवारों को उपयुक्त एवं उचित स्थिति का निर्धारण में ध्यान रखा जाना चाहिए
आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2015		• निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिम देना.
सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन,2015		• स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12 (8)	• Term of office of elected directors • Disqualifications from being elected as a Director of the bank • Vacation of office of Directors • Removal from office of an elected Director • Filling of Casual vacancy in the office of an elected Director • Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested
Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	• Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings • Directors to be elected at general meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election • Scrutiny of nominations • Election disputes • Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies
RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019.	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	• Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of nationalized banks
Office Memorandum ref. No. F.No.16/83/2013-BOI dated 03rd September 2013 issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, and Government of India as an Advice through its Government Nominee Directors in the Board of the Bank. And guidelines vide reference no. F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 of Government of India read with criteria laid down by the Government for consideration as Non Official Director of Public Sector Banks on 25th March 2015 (hereinafter referred to as "the GOI Guidelines" and further amendment thereto if any)	प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी CERTIFIED TRUE COPY	To elect the Shareholder Directors to discharge their duties as directors on the Board of the Bank with greatest transparency and in public interest, in this direction the guidelines dated 01st June 2011 regarding appointment of part-time non-official directors also be kept in mind while carrying out determination of 'fit and proper' status of the Candidates and subsequent related amendment thereto as mentioned herein.

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

- **वैबसाइट पर अधिनियमों/योजना/विनियमों/अधिसूचना का सारांश**

  शेयरधारकों की सुविधा के लिए, विनियामक अधिनियम के प्रासंगिक सार, अधिनियम,योजना,विनियमों के साथ-साथ आरबीआई द्वारा जारी मास्टर निदेश डीबीआर.एपीपीटी.सं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त, 2019 बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे. यह सारांश उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव को dgmcompsec@centralbank.co.in को संबोधित अनुरोध पर नामांकन फॉर्म जमाकरने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात बुधवार, 16 जून, 2021 तक प्राप्त होने पर ये सार इच्छुक उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से भी भेज दिए जाएंगे.

- **अभ्यर्थी की पात्रता**

  अभ्यर्थी अधिनियम की धारा 9(3ए) में वर्णित योग्यताएं रखता हो तथा योजना के खंड 10 में वर्णित अयोग्यता से पीड़ित नहीं हो और विनियमों के विनियम 65 के अनुसार शर्तें पूर्ण करता/करती हो जो निम्नानुसार है: .

  (ए) कोई उम्मीदवार बैंक का शेयरधारक होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की इच्छा रखता है, उसके पास:

  (ए) निम्न मामलों में से एक या अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए: -

  - कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
  - बैंकिग
  - सहकारिता
  - अर्थशास्त्र
  - वित्त
  - विधि
  - लघु उद्योग
  - अन्य किसी मामले में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार से बैंक के लिए उपयोगी होगा.
  - डआरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर एपीपीटी.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के माध्यम से बैंक में निदेशक की नियुक्ति के लिए आवश्यक विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव के क्षेत्रों में (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान तथा निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन (v) व्यावसायिक प्रबंधन के क्षेत्र बढ़ा दिए हैं,

  (बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; या

  (सी) किसानों, मजदूरों तथा कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो.

  (ए) अधिनियम की धारा 9 (3एए) के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होने के नाते कोई उम्मीदवार जो बैंक का निदेशक होना चाहता है उसकी स्थिति पिछ्ला रिकार्ड, ईमानदारी तथा आरबीआई द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्धारित अन्य ऐसे मानदडों के अनुरूप 9उपयुक्त और उचित होनी चाहिए .

  (बी) अधिनियम की धारा 9 (3एबी) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक उप धारा 3(एए) के तहत जारी अधिसूचना में ''उपयुक्त और उचित'' स्थिति का निर्धारण करने वाला प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण के तरीके, ऐसे निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा इनके अतिरिक्त अन्य ऐसे मामले, जिन्हें आवश्यक या प्रासंगिक माना जा सकता है, निर्दिष्ट कर सकता है.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
RBI Master Circular dated 1st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

- **EXTRACTS OF ACTS/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATION IN WEBSITE**

  For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme, the Regulations as well as RBI Master Direction No. DBR.Appt.No:9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 will be hosted on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Deputy General Manager/Company Secretary, at dgmcompsec@centralbank.co.in, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Wednesday, 16th June 2021.

- **QUALIFICATIONS FOR A CANDIDATE**

  The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9(3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, are detailed herein.

  (a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall -

    (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely,-

    - agricultural and rural economy,
    - banking,
    - co-operation,
    - economics,
    - finance,
    - law,
    - small scale industry,
    - any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India, be useful to the Bank;

      (RBI vide its circular no. DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

    (B) represent the interests of depositors; or

    (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

  (b) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification, a candidate being a shareholder of the Bank and who files nominations to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

(सी) अधिनियम की धारा 9 (3एबी) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक उपधारा 3 (एए) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करके उपयुक्त एवं उचित स्थिति का निर्धारण करने का प्राधिकरण, ऐसे निर्धारण की प्रक्रिया एवं ऐसे अन्य मामले जो आवश्यक एवं प्रासंगिक माने जाएं, को स्पष्ट कर सकता है.

(डी) इसके अतिरिक्त, चयनित निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए तथा उनके द्वारा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित वार्षिक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित है.

- **बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यता**

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु निम्न शर्तों पर अयोग्य करार दिया जाएगा:

(ए) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया है या उसने भुगतान नहीं किया है या लेनदारों से मिलीभगत कर ली हो; या

(बी) अगर वह मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया है और किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(सी) यदि उसे अपराधिक न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें नैतिक रूप से भ्रष्ट होना भी शामिल है; या

(डी) यदि वह बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) एवं (एफ) के तहत नामित प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक की पद धारिता को छोड़कर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक), अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता है.

(बी) यदि वह बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश डीबीआर.एपीपीटी. सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 तथा भारत सरकार दिशानिर्देश सं. एफ.सं. 16/51/2012-बीओ. आई, दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तथा दिनांक 20 जुलाई, 2016 के सहपठित दिनांक 03 सितम्बर 2013 के ओएम,के अनुसार ''उपयुक्त तथा उचित'' नहीं पाया जाता है.

- **कार्यकाल**

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार, निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्षों के लिए रहेगा तथा वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा.

बशर्ते कोई भी निदेशक लगातार छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा.

- **मास्टर निदेश- भारतीय रिजर्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए ''उपयुक्त तथा उचित'' मानदंड), निदेश, 2019**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर अधिसूचना डीबीआर एपीपीटी सं. 9/26.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त,2019 को पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त तथा उचित' मानदंड पर मास्टर निदेश जारी किया है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (i) के प्रावधानों के तहत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले निर्दिष्ट 'उपयुक्त तथा उचित' मानदंड दिए गए हैं.

'उपयुक्त तथा उचित' स्थिति आदि का निर्धारण करने हेतु प्राधिकारी, पद्धति /प्रक्रिया और मानदंड निम्नानुसार हैं:

i. **प्राधिकारी**: बैंक द्वारा एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति डजिसे इसके बाद ''समिति'' कहा गया है .का गठन करना आवश्यक है. जिसमें निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद बोर्ड कहा गया है) में से न्यूनतम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक हों, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे तथा इसमें, एसबीआई अधिनियम के खंड 19 के उप-खंड (सी) / बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम , 1970/1980 की धारा (i) की उप- धारा (3) के खंड 9 के अनुसार निदेशकों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए व्यक्तियों की 9उपयुक्त और उचित" स्थिति का निर्धारण करने के लिए समुचित सावधानी बरतने हेतु निदेशक मंडल की जोखिम प्रबन्धन समिति में से कम से कम एक सदस्य शामिल किया जाना चाहिए.

ii. **तरीका और प्रक्रिया**: बैंक चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी तथा एक घोषणा पत्र और वचन पत्र लेगा. समिति की बैठक नामांकन की स्वीकृति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद होगी तथा निम्न उल्लिखित मानदंडों के आधार पर समिति यह निर्धारित करेगी कि व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जाएगी या नहीं . हस्ताक्षरित घोषणा पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर समिति उम्मीदवारी के स्वीकरण पर विचार करेगी तथा जहाँ आवश्यक लगे वहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए कि

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

(c) In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

(d) Further, the elected director should execute the Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

- **DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK**

  (A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks(Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being, a director –

  (a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

  (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or

  (c) if he has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or

  (d) If he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955,or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

  (B) In terms of Notifications of Reserve Bank of India DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and Government of India guidelines no. F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013, if he is not found to be 'Fit & Proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

- **Tenure**

  In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

  Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

- **MASTER DIRECTION – RESERVE BANK OF INDIA ('FIT AND PROPER' CRITERIA FOR ELECTED DIRECTORS ON THE BOARDS OF PSBS) DIRECTIONS, 2019**

  Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBR.Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

  The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under:

  i. **Authority** : The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee (hereinafter referred to as the "**Committee**") consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors [hereinafter referred to as Board], out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under sub-section (c) of Section 19 of the SBI Act/ clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

  ii. **Manner and procedure:** The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

उम्मीदवार निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पुष्टि करता है, उपयुक्त प्राधिकारी/व्यक्तियों को संदर्भित करेगी.

iii. **मानदंड**: समिति यहाँ निम्न उल्लिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'उपयुक्त तथा उचित' स्थिति का निर्धारण करेगी:

ए. **आयु** : उम्मीदवार की आयु चुनाव हेतु नामांकन जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को 35 से 67 वर्ष के मध्य होनी चाहिए .

बी. **शैक्षणिक योग्यता** - उम्मीदवार को कम से कम स्नातक होना चाहिए.

सी. **अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र** - आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 सह पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जनज और अंतरण) अधिनियम, **1970**/1980, जैसा भी मामला हो, की धारा 9(3ए)(ए) में दिए गए एक या अधिक मामलों के संबंध में उम्मीदवार को विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.

डी. **अयोग्यता** - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के खंड 10 में यथा निर्धारित 'निदेशकों की अयोग्यता' के अतिरिक्त:

1. उम्मीदवार किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या किसी बीमा कम्पनी या किसी अन्य बैंक द्वारा धारित नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए .

   स्पष्टीकरण : इस उप-परिच्छेद तथा परिच्छेद (सी) के उद्देश्य के लिए ''बैंक'' शब्द में बैंकिंग कंपनी, नया संपर्की बैक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होगा.

2. अवक्रय, वित्तपोषण, धन उधार देने, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा. तथापि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि वे किसी प्रबंधकीय नियंत्रक के रूप में नहीं हैं .

3. बैंक के बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव/फिर से चुनाव नहीं किया जा सकता है, जिसने किसी बैंक/वित्तीय संस्था/ आरबीआई /बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में किसी भी श्रेणी के तहत लगातार या अनिरंतर रूप से छ: वर्षों के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया हो.

4. उम्मीदवार को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए .

5. उम्मीदवार को संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों के सदस्य के पद पर नहीं होना चाहिए .

6. उम्मीदवार ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न हैं।

7. उम्मीदवार ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए जो उस बैंक के सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षक या समवर्ती लेखा-परीक्षक के रूप में संलग्न हैं, जिसमें चुनाव हेतु नामांकन दाखिल किया गया है .

ई. **कार्यकाल** : निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा; बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक लगातार या अनिरंतर रूप से 6 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा.

एफ. व्यवसाय से संबंधित प्रतिबन्ध -

ए. उम्मीदवार का संबंधित बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं,सलाहकार सेवाओं आदि सहित) होना चाहिए और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उस बैंक के साथ व्यापारिक हित में टकराव हो सकते हैं.

बी. उम्मीदवार का किसी बैंक या किसी भी अन्य बैंक द्वारा धारण किए जाने वाले एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए.

सी. बशर्ते चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय बैंक के साथ इस तरह के संबंध रखने वाले उम्मीदवार को मद (बी) के तहत अपेक्षाएं पूरी करने वाला तभी माना जाएगा, जब उम्मीदवार नामांकन और पारिश्रमिक समिति को एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे कि

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

iii. **Criteria**: The Committee shall determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria mentioned hereunder:

a. **Age** – The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.

b. **Educational qualification** – The candidate should at least be a graduate.

c. **Experience and field of expertise** – The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.

d. **Disqualifications**: In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:

1. The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

   Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

2. A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.

3. No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any Bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

4. The candidate should not be engaging in the business of stock broking.

5. The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies.

6. The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.

7. The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.

e. **Tenure:** An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.

f. **Professional Restrictions –**

A. The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.

B. The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank.

C. Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

निदेशक के रूप में चुने जाने पर बैंक के साथ इस तरह के संबंध को समाप्त कर दिया जाएगा तथा निर्वाचित होने पर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पूर्व ऐसे संबंध समाप्त कर दिए जाएंगे.

जी. **ट्रैक रिकॉर्ड और ईमानदारी** : उम्मीदवार किसी भी विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं होना चाहिए तथा किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए.

iv. **बैंक निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करेंगे:**

ए. ऐसे व्यक्ति द्वारा निदेशक का पद ग्रहण करने से पूर्व संलग्न निर्धारित प्रारूप में निष्पादित प्रसंविदा विलेख .

बी. प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को इस आशय की एक सामान्य घोषणा कि उनके द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है

सी. जहां निर्वाचित निदेशक सूचित करता है कि पहले दी गई जानकारी में परिवर्तन है, बैंक ऐसे निदेशक से एक नयी घोषणा और शपथपत्र प्राप्त करेगा जिसमें परिवर्तन शामिल होंगे.

v. **बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करेगा. साथ ही,**

ए. निर्वाचित सीए निदेशक/उसकी फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटीकरण कि वे बैंक के ऋण /उनके /फर्म के ग्राहकों के निवेश निर्णयों में भाग नहीं लेंगे सहित सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली बनाई जाए . निर्वाचित सीए निदेशक को पूरी प्रक्रिया से खुद को अलग रखना होगा तथा इससे संबंधित प्रसंविदा पर हस्ताक्षर करना होगा.

बी. निर्वाचित निदेशक द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और निदेशक पदों का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण करना अपेक्षित है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरी बनाकर रखनी है तथा उन संस्थाओं जिनके वे हितधारक हैं, सहित बैंक के ऋण निवेश संबंधी निर्णयों में भाग नहीं लेंगे.

सी. किसी ऐसे व्यक्ति को कोई व्यावसायिक कार्य आवंटित न करें, जो ऐसे निदेशक का पद छोड़ने के पश्चात दो वर्षों की अवधि के लिए उस बैंक का निर्वाचित निदेशक था .

vi. **जहाँ निर्वाचित निदेशक:**

ए. निम्न में असफल रहता है

1. प्रसंविदा विलेख या घोषणा पत्र जमा करना या
2. उचित प्रकटीकरण या
3. ऋण/निवेश निर्णयों में भाग लेने से बचने में, जिसमें वे रुचि रखते हैं; या

बी. अपूर्ण या गलत प्रकटीकरण करते हैं, या

सी. ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जिसके कारण उन्हें उपर्युक्त उल्लिखित मानदंड के अनुसार 9उपयुक्त और उचित" नहीं पाया जाता है .

ऐसे निदेशक के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है तथा इसके परिणामों के लिए वे उत्तरदायी होंगे .

- **भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी 2021**

भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी 2021 के माध्यम से एक विशेष प्रावधान (खंड14ए) जोड़कर, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में संशोधन किया है जिसमें उल्लिखित है कि:

''जहाँ किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से विधि द्वारा कोई कार्रवाई या कार्य करने की अपेक्षा है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति की सिफारिशों या अवधारण, या उसके द्वारा प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान, या किसी नियुक्ति, उसके संबंध में उसके अनुमोदन या समीक्षा की अपेक्षा है, और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति का, ऐसी समिति में कोई रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण बैठक के लिए गणपूर्ति पूरी नहीं हो सकती है तो बोर्ड उक्त कार्रवाई अथवा कार्य को कर सकेगा.''

उपर्युक्त के अनुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मंडल को कोई कार्रवाई या कार्य करने के लिए, या प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए या किसी भी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में जो विधि द्वारा किया जाना अपेक्षित है, बोर्ड की समिति की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शक्ति प्राप्त है, बशर्ते बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी समिति में कोई रिक्ति होने या उसके सदस्य के इससे अलग होने के कारण ऐसी समिति की बैठक की गणपूर्ति पूरी नहीं हो सकती है.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

before appointment as a director of the bank.

g. Track record and integrity - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

iv. The bank shall obtain from the elected director:

a. Deed of Covenant executed in the prescribed format, before such person assumes office of director;

b. a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.

c. Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh declaration and undertaking incorporating the changes.

v. The Bank shall also ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

a. Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/ his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.

b. Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.

c. Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

vi. Where the elected director:

a. fails to

1. submit the Deed of Covenant or declaration; or
2. make proper disclosures; or
3. refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or

b. makes incomplete or incorrect disclosures, or

c. involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above,

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

- **GOVERNMENT OF INDIA NOTIFICATION DATED 25TH JANUARY, 2021**

The Government of India vide notification dated 25th January, 2021, amended the Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 by inserting a special provision (Clause 14A) which states:

"Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing."

In terms of the above the Board of Directors of a Nationalised Bank are empowered to exercise the powers of a Committee of the Board to do any act or thing, or for resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review, which it is required to do by law provided the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

- **भारत सरकार के दिनांक 25 मार्च, 2015 तथा 8 जुलाई, 2016 के दिशा-निर्देश**

आगे भारत सरकार के दिनांक 3 सितंबर, 2013 के पत्र के माध्यम से दी गई सलाह के अनुसार, बोर्ड की 9नामांकन और पारिश्रमिक समिति" शेयरधारक निदेशक की 9उपयुक्त तथा उचित स्थिति! का निर्धारण करते समय गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेंगी. भारत सरकार ने दिनांक 25 मार्च, 2015 को जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देश तथा दिनांक 08 जुलाई, 2016 को किए गए संशोधन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के पत्रों के माध्यम से अग्रेषित किया है, जिसका सार निम्नानुसार है:

ए) सामान्य

ए. नामांकन संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे.

बी. नामितों की उपयुक्तता का आकलन औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड,सत्यनिष्ठा आदि के अनुसार की जा सकती है. सत्यनिष्ठा और उपयुक्तता का आकलन करने हेतु,आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति की जानकारी, व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए की गई दीवानी कार्यवाही, पेशेवर निकायों से प्रवेश या निकासी से इन्कार, नियामकों और समान निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों तथा पूर्व संदेहास्पद कारोबारी गतिविधियों आदि की सूचनाओं पर भरोसा किया जाएगा.

बी) अनुभव

ए. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिग, सहयोग, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉपरिट कानून,जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्रों में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर सामान्य रूप से विचार किया जाएगा. एक वरिष्ठ पद पर 20 साल के उद्योग का अनुभव,संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञ (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व, एक असफल संगठन में परिवर्तन लाना) को प्राथमिकता दी जाएगी.

बी. 20 वर्ष के कुल अनुभव वाले सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर 10 वर्षों का न्यूनतम अनुभव. सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी/ईडी. भूतपूर्व सीएमडी/ईडी के संबंध में उस पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नही जाएगा, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं. पीएसबी के सेवारत सीएमडी/ईडी को किसी अन्य पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में विचार नहीं किया जाएगा.

सी. प्रीमियर प्रबंधन बैंकिग संस्थानों के अकादमिक निदेशक और 20 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले प्रोफेसर.

डी. 20 वर्षों के अनुभव वाले सनदी लेखाकारों (लेखापरीक्षा के अनुभव को छोड़कर) को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

ई. हालांकि, योग्यता के आधार पर अपवादस्वरूप मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंड में रियायत दी जा सकती है.

एफ. जहाँ तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है.

सी) शिक्षा

एक एनओडी को कम से कम व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए।

डी) आयु

निदेशक की आयु चयन/नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफारिश की तिथि को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

ई) कार्य अनुभव

पेशेवरों/शिक्षाविदों को सामान्य रूप से अपने विशेष क्षेत्र में 20 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए.

एफ) अपात्रता

ए) किसी बैंक/वित्तीय संस्थान (वित्तीय संस्थानों)/ आरबीआई / बीमा कंपनी में पहले से ही किसी भी श्रेणी के तहत किसी निदेशक पर, किसी भी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान / आरबीआई / बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है.

बी) अवक्रय, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा-बैंकिग गतिविधियों वाले व्यक्ति, सांसद, विधायक, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर्स से जुड़े व्यक्तियों को बैंकों / वित्तीय संस्थानों / आरबीआई / बीमा कंपनियों के बोर्ड के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। अवक्रय, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा-बैंकिग गतिविधियों के निवेशकों को एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा, यदि वे ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हैं.

सी) किसी व्यक्ति को बैंक / वित्तीय संस्थानों / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में एनओडी के रूप में पुन: नामांकित नहीं किया जा सकता

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

- **GOI GUIDELINES DATED 25TH MARCH 2015 & DATED 8TH JULY 2016**

Further as advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 read with amendments dated 8th July 2016, the gist of which is as under:

A. General :

a. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.

b. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

B. Experience

a. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.

b. Retired senior Government oficials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/ EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.

c. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.

d. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

e. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.

f. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ ST community.

C. Education : An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

D. Age : The age of the Director, on the date of recommendation by Search/Nomination and Remuneration Committee should not be more than 67 years.

E. Work Experience: Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

F. Disqualifications:

a. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.

b. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-oficial directors on the boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

c. No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager

है, जिसमें उन्होंने किसी भी श्रेणी के तहत पूर्व में दो कार्यकाल या छह वर्ष जो भी अधिक हो, निदेशक के रूप में सेवा की है.

डी) किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न सनदी लेखाकार फर्म का कोई भी भागीदार.

ई) बैंक में किसी सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या संगामी लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न सनदी लेखाकार फर्मों में से कोई भी भागीदार

जी) **कार्यकाल**: बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए किसी ऐसे एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा जो पहले ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार या खंडितरूप से 6 वर्षों के लिए एनओडी/शेयरधारक-निदेशक रह चुके हैं.

एच) **व्यावसायिक प्रतिबंध**

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10(डी) के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में व्यावसायिक प्रतिबंध बनाम लाभ के पद के प्रकरण की अलग से जांच की जा सकती है.

आई) **क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व को एक साथ लेकर-देश के सभी छह अंचलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए.

- **उम्मीदवारों को शेयरधारकों की सूची**

शुक्रवार, **दिनांक 4 जून 2021** को बैंक के शेयरधारकों की सूची बिक्री के लिए **शनिवार दिनांक 5 जून 2021** से उपलब्ध होगी, जो कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन पाइंट शाखा मुम्बई के खाता नं.1787420976, आईएफएससी CBIN0281067 में ऑनलाइन **₹ 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र)** का भुगतान करके अथवा उप महाप्रबंधक/कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 9वीं मंजिल, चन्द्रमुखी, नरीमन पाइंट, मुम्बई-400021 को संबोधित अनुरोध के साथ ''सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया'' के पक्ष में देय मांग ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध हो सकेगी. इच्छुक अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे शेयरधारकों की सूची का निरीक्षण करें तथा उससे समुचित सार ग्रहण करें.

- **शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण**

शेयरधारकों का रजिस्टर केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई में सभी कार्य दिवसों (बैंक की छुट्टियों के अलावा) सुबह 11.00 बजे से शाम 3.00 बजे के बीच निरीक्षण के लिए खुला है. अगर किसी भी शेयरधारक को रजिस्टर अथवा उसके चयनित/भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होगी तो, ₹ 5/- प्रति 1,000 शब्द - या भाग की दर से भुगतान के लिए उसे उसकी आपूर्ति की जाएगी.

- **चुनाव में सहभागिता**

ऐसे शेयरधारक, जिनके नाम एनएसडीएल:सीडीएसएल/आरटीए द्वारा दिनांक 04 जून, 2021 को तैयार किए गए सदस्यों/हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में उल्लिखित हैं, वे ही सहभागिता करने अर्थात केन्द्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में नामित तथा चुनाव लडने करने के लिए पात्र होंगे.

ऐसे शेयरधारक जिनके नाम 23 जून 2021 को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सदस्यों/लाभार्थियों के मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में मतदान करने के हकदार होंगे.

- **नामांकन:**

नामांकन की वैधता

विनियमन के विनियम 65 एवं भारिबैं मास्टर निदेश सं.डीबीआर.एपीपीटी नं.9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 (भारिबैं मास्टर निदेश) के अनुसार और विभिन्न अधिनियमों के लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार, निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा, बशर्ते:

(ए) शुक्रवार, दिनांक 4 जून, 2021 को चुनाव में सहभागिता के लिए कट-ऑफ / विनिर्दिष्ट तारीख होने के कारण उसके पास बैंक के न्यूनतम 100 (एक सौ) शेयर्स होने चाहिए;

(बी) बुधवार, 16 जून, 2021 (नामांकनों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख) उन्हें अधिनियम, इस योजना अथवा आरबीआई, अधिसूचना के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य न पाया गया हो.

(सी) उसके द्वारा एकल या अन्य के साथ धारित शेयरों के संबंध में उसके किसी भी मांग की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व सभी माँगों का भुगतान कर दिया है.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

d. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.

e. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

G. **Tenure:** An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/ Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

H. **Professional Restrictions:** The issue of professional restriction vis- à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

I. **Regional Representation:** Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

- **LIST OF SHAREHOLDERS to CONTESTANTS**

A list of Shareholders of the Bank as on **Friday, 4th June 2021** will be available for sale on and from **Saturday, 5th June 2021** onwards on payment of ₹ **50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)** by making online transfer to the bank account no. 1787420976, IFSC: CBIN0281067 of Central Bank of India, Nariman Point Branch, Mumbai or by Demand draft in favour of "Central Bank of India" payable at Mumbai alongwith a request addressed to the Deputy General Manager / Company Secretary, Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021. The intending candidates may also inspect the List of Shareholders and take extracts there from.

- **INSPECTION OF REGISTER OF SHAREHOLDERS**

The Register of Shareholders is open for inspection at the Investor Service Department Central Office of the Bank from Monday to Saturday between 11 A.M. to 3 P.M. (other than Bank Holidays). If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of ₹ 5/- for 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

- **PARTICIPATION IN ELECTION**

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL/RTA as on 4th June, 2021, shall be entitled to participate i.e. nominate and contest in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL as on 23rd June 2021 shall be entitled to vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

- **NOMINATIONS:**

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of and RBI Master Direction No. DBR.Appt. No:9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 (RBI Master Direction) and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

(a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the Bank as on Friday, 4th June 2021 being the Cut-off / Specified Date for participating in the election;

(b) as on Wednesday, 16th June 2021 (the last date for receipt of nominations), he is not disqualified to be a director under the Act, the Scheme or RBI Notification;

(c) He has paid all calls in respect of shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the las date fixed for the Payment of the call.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

(डी) अधिनियम के तहत निदेशक के चुनने हेतु पात्र न्यूनतम सौ शेयर धारकों द्वारा अथवा उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन, बशर्ते शेयरधारक यदि कंपनी है, तो यह नामांकन उस कंपनी के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा किया जाए और जिस बैठक में यह संकल्प पारित किया गया , उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प की सत्यप्रति नामांकन के साथ संलग्न कर बैंक के प्रधान कार्यालय को - उप महाप्रबंधक/ कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल ,चन्दरमुखी, नरीमन प्वाइंट ,मुंबई-400 021 पर भेजी जाए, तथा यह नामांकन इस कंपनी की ओर से माना जाएगा.

(ई) इस सूचना में दिए गए घोषणा पत्र के नमूना प्रारूप के अनुसार उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट,आश्वासन के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार अश्युरंस या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयृत बैंक के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित शेयरधारित (न्यूनतम 100) की घोषणा देते हुए कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा वह चुनाव में खड़ा होने का इच्छुक है एवं वह निदेशक होने के लिए अधिनियम या योजना या विनियमों के तहत योग्य नहीं है तथा उसके द्वारा धारित शेयरों का एरियर वापस नहीं माँगा गया है, वैध नामांकन दिए जाएं. यह पुष्टि करते हुए कि ये विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं, उम्मीदवार के विधिवत हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरणों (बायोडाटा) तथा उन घटनाओं के संबंध में, जो प्रदान की गई जानकारी से संबंधित घोषणा पत्र देने के पश्चात घटित होती हैं, यथाशीघ्र बैंक को पूरी जानकारी प्रदान करने का वचन देने के साथ इसे दिया जाएगा.

(एफ) बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर विनियमों द्वारा यथा निर्धारित नामांकन प्रपत्र तथा घोषणा-पत्र इस सूचना के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार उपलब्ध है.

नामांकन फार्म का प्रस्तुतिकरण

शेयरधारकों में से बैंक निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक को निम्न प्रलेख प्रस्तुत करने चाहिए :

ए) विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र;

बी) चुनाव में भाग लेने के हकदार न्यूनतम 100 शेयरधारकों से वैध नामांकन;

सी) संबंधित दस्तावेजों, प्रशंसापत्र के साथ नोटिस में संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा और वचनपत्र जैसे कि बायोडाटा की स्वप्रमाणित प्रतियां, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुभव आदि. वर्णित नामांकन प्रपत्र और अन्य दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण होने चाहिए, ऐसा न होने की स्थिति में नामांकन खारिज होने के लिए उत्तरदायी हैं. यह मुहरबंद लिफाफे में पूरे तरह से भरे हुए संबंधित दस्तावेजों के साथ उप महाप्रबंधक/कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, चन्दरमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021 को कारोबारी दिन में बैठक की तारीख अर्थात् **बुधवार, दिनांक 16 जून, 2021** को सायं 5.00 बजे बैंक के कारोबारी समय की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए.

- **नामांकन की जांच और निदेशकों का चुनाव**

ए) नामांकन की प्राप्ति के लिए नियत तिथि के बाद पहला कार्य दिवस **गुरूवार, 17 जून, 2021** को बैंक द्वारा नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसके कारणों को दर्ज करने के बाद खारिज कर दिया जाएगा.

बी) तदोपरांत वैध नामांकन बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) / निदेशक मंडल के द्वारा जांच के अधीन होंगे जैसा कि इस मामले में 'उपयुक्त एवं उचित" दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 2019 के मास्टर दिशानिर्देशों के संदर्भ में हो सकता है.

सी) जांच के बाद, यदि एक रिक्ति के लिए केवल एक वैध नामांकन है, तो वह चुनाव के द्वारा उसे भरा जाएगा, नामित उम्मीदवार को उसके बाद निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम चयनित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा. ऐसी स्थिति में इस उद्देश्य के लिए आयोजित बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा. नव निर्वाचित निदेशक 1 जुलाई, 2021 को पद ग्रहण करेंगे.

डी) यदि एक से अधिक वैध नामांकन हैं, और इस स्थिति में चुनाव किया जा रहा है, बैठक में बहुमत के वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा और उसके नाम की घोषणा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और समाचार पत्र में नाम प्रकाशित किया जाएगा. नव निर्वाचित निदेशक 1 जुलाई,2021 को पद ग्रहण करेंगे जिस तिथि से उन्हें चयनित किया जाएगा.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

(d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to Deputy General Manager/Company Secretary, Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company;

(e) the nomination by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations or the RBI Notification alongwith his/her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

(f) The Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed (the Proforma is also available on the Bank's Website- www.centralbankofindia.co.in).

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors should submit:

a) duly filled in Declaration Form;

b) nominations from minimum of 100 shareholders entitled to participate in the elections;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the concerned documents, testimonials, viz., self-attested copies of Bio data, Certificates of Educational qualification, experience, etc. in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope to the Deputy General Manager/Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 pm on **Wednesday, the 16th June 2021.**

- **SCRUTINY OF NOMNATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS**

  a) Nominations shall be scrutinized on **Thursday, 17th June 2021**, the next working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.

  b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines as per Master direction dated 2nd August 2019 issued by the Reserve Bank of India.

  c) If there is only ONE valid nomination for the ONE vacancy to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose. The elected candidates shall assume office from 1st July 2021.

  d) In the event of an election being held, If the valid nominations are more than ONE, the candidate polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and his/her name will be announced by the Chairman and also published in newspapers. He/she will assume office on 1st July 2021, the next working day after the day of election.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

विवाद

ई) यदि कोई विवाद है, तो वह विनियम के विनियमन 67 के अनुसार निपटाया जाएगा.

नामांकन वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह बैंक के कारोबारी घंटों से पूर्व अर्थात् दिनांक 25 जून, 2021, शुक्रवार को 5.00 बजे या उससे पूर्व, उप महाप्रबंधक/कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल, चन्दरमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021 को संबोधित हस्ताक्षरित पत्र भेजकर अथवा हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन कॉपी ई-मेल dgmcompsec@centralbank.co.in पर भेजकर ऐसा करने के लिए हकदार होगा.

निदेशकों की रुचि

बैंक के निदेशक यदि चुनाव लड़ते हैं तो उपयुक्त उल्लिखित मद से वे सहमत एवं उसमें रुचि धारक है. ऐसा माना जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

हस्ताक्षर/-

(आनंद कुमार दास)

उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई

दिनांक: **21.05.2021**

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

DISPUTES

If there is any dispute, the same shall be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/her would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. on or before 5:00 PM on Friday, 25th June 2021 by sending a signed letter addressed to Deputy General Manager/Company Secretary, Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 or sending scanned and signed letter over e-mail at dgmcompsec@centralbank.co.in.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

Place: Mumbai **ANAND KUMAR DAS**

Date: 21.05.2021 **Deputy General Manager/Company Secretary**

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

घोषणा

(उम्मीदवार द्वारा)

(विनियमों का विनियम 65 देखें)

मैं, श्री/ श्रीमती ______________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री /श्रीमती ______________ निवासी ______________________________ इसके द्वारा पुष्टि करता/करती हूं :

ए. मैं एक शेयरधारक हूँ, मेरे **पास शुक्रवार, 4 जून, 2021** अर्थात चुनाव में भाग लेने के लिए कट-ऑफ / निर्दिष्ट तिथि को बैंक के ₹ 10/- प्रत्येक के ______________________ इक्विटी शेयर हैं, एवं

बी. मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, या सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों या क्षेत्रों में / भुगतान और निपटान प्रणाली / मानव संसाधन / जोखिम प्रबंधन / व्यवसाय प्रबंधन में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, यह विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा, और मैं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अजंन और अंतरण) अधिनियम , 1970 की धारा 9 की उपधारा 3ए के संदर्भ में जमाकर्ताओं या किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता/करती हूं और इसके सबूत के रूप में, मैं इसके साथ प्रासंगिक प्रशंसापत्र, प्रस्तुत करता/करती हूं.

सी. मैं नामांकन संख्या ______________ से ______________ तक स्वीकार करता/करती हूं, एवं

डी. मैं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हू, एवं

ई. मैं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 के प्रावधानों और भारिबैं की अधिसूचना के तहत बैंक का निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूं.

एफ. मैं, न तो कोई लाभ का पद धारण करता/करती हूं और न ही मैं किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम 1959 धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक का/ की कर्मचारी हूं.

जी. मैं वचन देता/देती हूं कि मैं सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाकरण) विनियम, 2015, जिसे बैंक के निदेशक के रूप में पद ग्रहण करने तक यथा संशोधित, के संबंधित प्रावधानों का पालन करूंगा / करूंगी.

एच. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूं; एवं

आई. मैं वचन देता/देती हूं कि इस घोषणा के बाद से समय-समय पर जब भी कोई प्रसंग घटित होगा, जोकि प्रदत्त सूचना से संबंधित होगा, यथाशीघ्र सूचित करुगाँ/करूँगी और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चयन होने पर ''प्रसंविदाविलेख'' का निष्पादन करूँगा /करूँगी , एवं

जे. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि :

i. मुझे किसी भी समय दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या भुगतान नहीं रोका गया है या लेनदारों से मिलीभगत नहीं रही है, एवं

ii. मुझे मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं पाया गया है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है तथा दंड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, जिसमें नैतिक रूप से भ्रष्ट होना शामिल है, एवं

iii. मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मैजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है, एवं

iv. निर्वाचित होने पर बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध, यदि कोई हो, से स्वयं को अलग कर लूंगा/लूंगी तथा निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान एवं इसके पश्चात दो वर्षों की अवधि के लिए बैंक के साथ मेरा कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होगा, एवं

v. मैं किसी बैंक या रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक द्वारा धारित एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं हूं,एवं

vi. मैंने किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई /बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में किसी भी श्रेणी के तहत लगातार या अनिरंतर रूप से छः वर्षों के लिए निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया है, एवं

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt ________________________________ son/daughter/wife of Shri/Smt. ____________ ____, residing at _________ _____________________________________ hereby confirm that:

a. I am a shareholder holding _________ equity shares of ₹ 10/- each (fully paid up) of CENTRAL BANK OF INDIA under Folio No. _________/DP ID No. ___________/Client ID No. ___________ as on **Friday, 4th June, 2021 being the Cut-off/Specified Date** for participating in the Elections and

b. I have special knowledge or practical experience in *(i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii) Co-operation, (iv) Economics, (v) Finance, (vi) Law, (vii) Small Scale Industry, or any other matter the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank and I represent the interest of Depositors / Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials, and

c. I accept the nominations numbered from ________ to ________, and

d. I am willing to contest the election for Director of Central Bank of India, and

e. I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 , the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and RBI Notifications, and

f. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

g. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

h. I am not disqualified under section 164 of the Companies Act, 2013; and

i. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and

j. I further declare that :

   i. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and

   ii. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and

   iii. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and

   iv. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

   v. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

   vi. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/ RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

vii. मैं स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में संलग्न नहीं हूं, एवं

viii. मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद,आदि) के सदस्य के पद पर नहीं हूँ, एवं

ix. मैं चार्टर्ड एकाउंटैंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न हैं, एवं

x. मैं ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में ऐसे बैंक के सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षक या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया समवर्ती लेखा-परीक्षक के रूप में संलग्न है, जिसमें चुनाव हेतु नामांकन दाखिल किया गया है, एवं

xi. मेरा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) है और न ही ऐसी गतिविधियों में संलग्न हूँ जिसके परिणामस्वरूप सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ व्यापारिक हित अवरुद्ध हो सकते हैं, एवं

xii. मेरा किसी बैंक या किसी भी अन्य बैंक द्वारा धारण किए जाने वाले एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है, यदि कोई संबंध होता है तो निदेशक के रूप में निर्वाचित होने पर पदभार ग्रहण करने से पूर्व संबंध समाप्त कर लूंगा/लूंगी.

xiii. मैं वचन देता/देती हूँ कि किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ तथा मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं हूँ.

के. मैं निदेशक का पद ग्रहण करने से पूर्व (दिनांक 02.08.2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में) में प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ.

आई. मैं उन घटनाओं के संबंध में यथाशीघ्र बैंक को पूरी जानकारी प्रदान करने का वचन देता हूँ जो प्रदान की गई जानकारी से संबंधित घोषणा पत्र देने के पश्चात होती हैं तथा मैं प्रसंविदा विलेख निषादित करने का वचन देता/देती हूँ.

एम. मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार अपनी व्यक्तिगत जानकारी संलग्न कर रहा हूं, जो कि सत्य है और हर प्रकार से पूर्ण है.

नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि डिमेट के रूप में नहीं है)	
डीपी आईडी संख्या और ग्राहक आईडी संख्या (यदि डिमेट के रूप में है)	
स्थान	
दिनांक	

उपरोक्त घोषणा पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए थे.

मुहर के साथ हस्ताक्षर एवं ______________________________

प्रमाणनकर्ता अधिकारी का नाम ______________________________

नामिती द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट , रजिस्टार या उप-रजिस्टार ऑफ एश्योरंस या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष किया जाना अनिवार्य है.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

*जो भी लागू हो उसे टिक करें.

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

vii. I am not engaging in the business of stock broking.

viii. I am not holding the position of a Member of Parliament or State legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)

ix. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalized bank or State Bank of India.

x. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Central Bank of India.

xi. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Central Bank of India nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Central Bank of India.

xii. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.

xiii. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.

k. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director;

l. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and

m. I enclose my personal Information details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete in all respects.

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DP ID No. and Client ID No. (If Dematerialised)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me

Signature with Seal and ______________________

Name of the attesting official ____________________

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationlised Bank.

* Tick whichever is applicable.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

नामांकन फॉर्म

(शेयर धारक द्वारा)

(विनियमों का विनियम 65(डी) का संदर्भ लें)

क्र.सं.

सेवा में,

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय
चन्दरमुखी , नरीमन प्वाइंट
मुंबई - 400 021.

प्रिय महोदय,

निदेशक के चुनाव के लिए नामांकन

आपकी सूचना दिनांक 21.05.2021 के संदर्भ में, मैं श्री/श्रीमती ____________________ , सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयरधारक जिस के पास शुक्रवार , 4 जून, 2021 अर्थात चुनाव में भाग लेने के लिए कट ऑफ / निर्दिष्ट तिथि को ₹ 10/- प्रत्येक(पूर्णतया प्रदत्त) के ____________________ इक्विटी शेयर हैं, के द्वारा श्री/श्रीमती ____________________ पुत्र/ पुत्री पत्नी श्री /श्रीमती ____________________ निवासी ____________________

____________________ को बुधवार 30 जून, 2021 को होने वाली शेयर धारकों की असाधारण आम बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जज और अंतरण अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) में यथा प्रदत्त बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक के चुनाव लडने के लिए नामित करता/ करती हूँ.

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि डीमेट के रूप में नहीं है)	
डीपी आईडी सं. एवं ग्राहक आईडी सं. (यदि डीमेट के रूप में है)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियाँ :

1. यदि नामांकन एक कॉर्पोरेट निकाय द्वारा किया जाता है, तो नामांकन प्रपत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के तहत पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति होनी चाहिए, जिस में यह पारित किया गया था.
2. उम्मीदवारी को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाने चाहिए.
3. यदि ऊपर के किसी भी कॉलम को खाली छोड़ दिया जाता है या विवरण गलत पाए जाते हैं, तो नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

NOMINATION FORM

(BY THE SHAREHOLDER)

(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

To,

Sl.No.

The Chairman & Managing Director
Central Bank of India
Central Office,
Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai 400021

Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 21.05.2021, I, Shri/Smt______________________________ a shareholder of Central Bank of India, holding ________ equity shares of ₹ 10/- each (fully paid up) as on Friday, 4th June, 2021 being the Cut-off / Specified Date for the purpose of participation in the election, do hereby **nominate** Shri/Smt. ___ ______________________________ son/daughter/wife of Shri/Smt. ______________________________ ____ residing at ____ ____ for being elected as a Director of Central Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Extra-ordinary General Meeting of the shareholders to be held on Wednesday, 30th June, 2021.

Signature	
Name	
No. of Shares	
Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DP ID No. and Client ID No. (If Dematerialised)	
Place	
Date	

Notes :

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.

2. Signatures of the shareholders nominating the candidate should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.

3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to rejected.

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

यहाँ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ

बैंक का नाम : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा और शपथपत्र
(उचित अनुलग्नकों के साथ)

क्र. सं.	विवरण	प्रकट की जाने वाली जानकारी
I.	**व्यक्तिगत विवरण**	
1.	पूरा नाम	प्रथम नाम / मध्य नाम / अंतिम नाम
2.	पिता का नाम	
3.	लिंग (स्त्री/ पुरुष/ अन्य)	
4.	वर्तमान पता	
5.	ई-मेल पता और वैकल्पिक ई-मेल : पता एसटीडी कोड के साथ : टेलीफोन नंबर : मोबाइल नंबर :	
6.	राष्ट्रीयता	
7.	जन्म तिथि (दिनांक/माह/वर्ष) तथा आयु	......../......../........ आयु : ....वर्ष :.......... माह : ....
8.	शैक्षिक योग्यता	
9.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
10.	आधार संख्या (वैकल्पिक)	
11.	(ए) स्थायी खाता संख्या (पैन) (बी) प्रभार जहाँ प्रस्तावित निदेशक का कर मूल्यांकन किया जाता है (आयकर अधिकार क्षेत्र) / आयकर सर्कल /वार्ड का नाम और पता (सी) पिछ्ले 3 वर्षों के लिए रिटर्न फाइल करने और करों के भुगतान का विवरण	फाइल करने की तिथि / प्रदत्त कर की राशि (रुपये में)
12.	स्थायी पता	
13.	लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन , व्यवसाय प्रबंधन या अन्य किसी मामलों के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी है.	
14.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव पर संक्षिप्त आलेख)	
15.	न्यूनतम पिछ्ले दस वर्षों की व्यवसाय जानकारी जिसमें काम किए गए संगठनों का पूरा पता, नियुक्ति की तिथि, कार्यमुक्ति की तिथि (कारणों सहित), पदनाम आदि शामिल हों.	

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

Name of Bank: Central Bank of India
Declaration and Undertaking by a proposed Director
(with appropriate enclosures)

Affix passport size photo here

Sr No	Particulars	Information Disclosed
I.	**Personal Details**	
1.	Name in full	First Name / Middle Name / Last Name
2.	Father's name	
3.	Gender (M/F/others)	
4.	Present address	
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:	
6.	Nationality	
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	..... /...... / Age: .... years .... months
8.	Educational qualifications	
9.	Director Identification Number (DIN)	
10.	Aadhaar Number (Optional)	
11.	(a) Permanent Account Number (PAN) (b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction)/ name and address of Income Tax Circle/Ward (c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	Date of filing / Amount of tax paid (INR)
12.	Permanent address	
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.	
14.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)	
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.	

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विवरण</th><th>प्रकट की जाने वाली जानकारी</th></tr>
<tr><td>16.</td><td>सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित को इंगित करें :
(ए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या :
(बी) आईसीएआई में पंजीकरण की तिथि :
(सी) पंजीकृत फर्म /फर्मों का नाम और पता :
(डी) वर्तमान में फर्म (फर्मों) या आपके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा (ओं) का विवरण :</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>शाखा और खाता संख्या (बचत/चालू/ ऋण खाते) के साथ बैंकर (रों) के नाम जहां आप प्राथमिक खाता धारक है :</td><td><table><tr><th>बैंक का नाम</th><th>शाखा</th><th>खाते का प्रकार</th><th>खाता संख्या</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>18.</td><td>आपके द्वारा जीवनसाथी द्वारा और आपके अवयस्क बच्चे द्वारा यदि भौतिक या अमूर्त रूप से किसी भी प्रकार से रखी गई शेयरधारिता का विवरण.(डीमैट / शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>बैंक के निदेशकों से सम्बंधित अन्य कोई जानकारी</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">II. प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक रिश्ते-नाते</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>बैंक से संबद्ध रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो, जो किसी भी बैंक से सम्बंध हैं (कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 2 (77) तथा कंपनी (परिभाषाओं के विनिर्दिष्ट विवरण) नियम, 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें.)</td><td></td></tr>
<tr><td>21.</td><td>संस्थाओं की सूची :
(ए) जिनमें आपका हित है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें)
(बी) उन संस्थाओं की सूची, जिनमें आप लाभकारी स्वामित्व रखते हैं (कंपनी अधिनियम, 2013की धारा 89 और साथ ही लागू एमसीए के महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों का संदर्भ लें)
(सी) ट्रस्टों की सूची जिसमें आपके पास ट्रस्टी का पद है (ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):</td><td></td></tr>
<tr><td>22.</td><td>मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिनमें आप बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) ''पर्याप्त हित'' के अनुसार पर्याप्त हित रखते हैं. (i) किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या अव्यस्क बच्चे द्वारा, उसके शेयर में, चाहे अकेले या सामूहिक रूप से कोई लाभदायक हित रखना है, जिसपर भुगतान की गई राशि, कंपनी की चुकता पूंजी से पांच लाख रुपये या दस प्रतिशत से अधिक हो, जो भी कम हो; (ii) एक फर्म के संबंध में, तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या अव्यस्क बच्चे द्वारा चाहे अकेले या सामूहिक रूप से कोई लाभकारी हित रखना, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा निर्धारित कुल पूँजी का दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है.</td><td><table><tr><td>कंपनी /फर्म का नाम</td><td></td></tr><tr><td>निगमन का देश</td><td></td></tr><tr><td>शेयरों की संख्या</td><td></td></tr><tr><td>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</td><td></td></tr><tr><td>शेयरधारिता का कुल अंकित मूल्य</td><td></td></tr><tr><td>कुल चुकता पूँजी के ङ्के रूप में शेयरधारिता</td><td></td></tr><tr><td>लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ ङ में)</td><td></td></tr><tr><td>क्या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत कंपनी है.</td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

<table>
<tr><th>Sr No</th><th>Particulars</th><th>Information Disclosed</th></tr>
<tr><td>16.</td><td>In case a Chartered Accountant, indicate the following:
(a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):
(b) Date of registration with the ICAI:
(c) Name and Address of the registeredfirm/s:
(d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:</td><td><table><tr><th>Bank Name</th><th>Branch</th><th>Type of A/c</th><th>A/c Number</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>18.</td><td>Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, byyou, spouse, and your minor child.(attach demat/shareholding certificate)</td><td></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>Any other information relevant to directorship of the bank:</td><td></td></tr>
<tr><td>II.</td><td colspan="2">Relevant Relationships of proposed director</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:</td><td></td></tr>
<tr><td>21.</td><td>List of entities in which:
(a) interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]:
(b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]:
(c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):</td><td></td></tr>
<tr><td>22.</td><td>List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949. (*Substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.)</td><td><table><tr><td>Name of the company / firm</td><td></td></tr><tr><td>Country of incorporation</td><td></td></tr><tr><td>Number of shares</td><td></td></tr><tr><td>Face Value of each share</td><td></td></tr><tr><td>Total face value of share holding</td><td></td></tr><tr><td>Shareholding as % of total Paid up Capital</td><td></td></tr><tr><td>Beneficial interest (in value as well as % terms)</td><td></td></tr><tr><td>Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>23.</td><td>Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.</td><td></td></tr>
</table>

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager

क्र. सं.	विवरण	प्रकट की जाने वाली जानकारी
23.	विदेशों में निगमित और भारत में कारोबार करने वाली संस्थाओं में धारिताओं का विवरण.	
24.	बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या अतीत में आप बोर्ड के सदस्य/ सलाहकार रहे हैं (उस अवधि का ब्यौरा देना जिसके दौरान इस कार्यालय रहे है/ रहे थे)	
25.	यदि किसी ऐसी संस्था, से जुड़ें हों जो अवक्रय,वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियां करती हों (संगठन के स्वरुप का उल्लेख किया जाना चाहिए), तो विवरण दें.	
26.	यदि किसी स्टॉक ब्रोकर या किसी ऐसी संस्था से संबद्ध हों जो शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों, में संलिप्त हों, तत्संबंधी उनका विवरण दें.	
27.	निधि और गैर- निधि आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, जिनको आपने व्यक्तिगत रूप से तथा/ या उन संस्थाओं द्वारा प्राप्त की गई हों, जो कि उपर्युक्त (21) से (26) में वर्णित हैं.	
28.	मामले यदि कोई हो , जहाँ आप या उक्त (21) से (26) में वर्णित संस्थाएँ बैंक/एनबीएफसी/ अन्य कोई उधारदाता संस्था के संदर्भ में चुककर्ता रही है, अथवा पूर्व में इरादतन चूककर्ता घोषित की गई है.	
III. व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख		
29.	निदेशक के पद के लिए उपयुक्त व्यावसायिक उपलब्धियाँ	
IV. प्रस्तावित निदेशकके विरूध्द कार्यवाही, यदि कोई हो .		
30.	(ए) व्यावसायिक संस्थान /निकाय के सदस्य के रूप में, यदि कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है अथवा शुरु है अथवा पूर्व में कोई अपराध सिद्ध हुआ है अथवा किसी व्यवसाय/ व्यापार में प्रवेश हेतु निर्बंध लगाए गए हैं, के विवरण	
	(बी) यदि व्यक्तिगत व्यावसायिक व्यवहार अथवा गतिविधियों के बारे में कोई लिखित शिकायत अथवा आरोप हुआ है तो उसका विवरण	
31.	आर्थिक अधिनियमों तथा विनियमों के उल्लंघन हेतु स्वयं अथवा उक्त (21) से (26) में वर्णित संस्थाओं पर दोष सिद्ध अथवा जारी या लंबित अभियोग यदि कोई हो, के विवरण	
32.	लंबित अथा जारी जारी दोषसिद्ध अपराधिक अभियोग, यदि कोई हो , के विवरण	
33.	यदि एएमएल /सीएफटी दिशानिर्देशों को भंग करने में लिप्त है, तो उसके विवरण	
34.	यदि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित अयोग्यता है ,तो उसके विवरण	
35.	यदि न्यायनिर्णित दिवालिया है अथवा ऋण दाताओं को भुगतान नहीं किया है, या उनके साथ मिलीभगत की है, तो उसके विवरण	
36.	यदि कोई विकृत मस्तिष्क का पाया जाता है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण	

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

Sr No	Particulars	Information Disclosed
24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).	
25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.	
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.	
27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.	
28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.	
III.	**Records of professional achievements**	
29.	Professional achievements relevant for the directorship.	
IV.	**Proceedings, if any, against the proposed director**	
30.	(a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/ occupation at any time, details thereof.	
	(b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	
31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.	
32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

क्र. सं.	विवरण	प्रकट की जाने वाली जानकारी
37.	(ए) यदि अपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक क्रूरता या अन्यथा शामिल है, तो उसका विवरण (बी) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उसका विवरण	
38.	यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक में पूर्ण कालिक निदेशक के पद को छोड़कर लाभ का पद धारण किया है, तो उसके विवरण	
39.	यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा उक्त (21) से (26) में वर्णित संस्थाओं के रूप में किसी पूर्व नियोक्ता अथवा सरकारी विभाग या एजेंसी से कोई जाँच /सतर्कता/ पूछ्ताछ का मामला है, तो उसके विवरण	
40.	यदि कस्टम / उत्पाद शुल्क/ आयकर /विदेशी विनिमय / अन्य राजस्व प्राधिकारियों के नियम/ विनियमों /विधिक आवश्यकताओं को भंग करने में दोषी पाया गया है, तो उसके विवरण	
41.	यदि किसी विनियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि व्यावसायिक संगठनों सरकारी एजेंसी अथवा न्यायालयों द्वारा व्यावसयिक व्यवहार अथवा गतिविधियों के कारण दंडित, चेतावनी, रोक, बंदी, प्रतिबंध, निषेध किया गया है, तो उसके विवरण (यद्यपि अभ्यर्थी को उन आदेशों, निष्कर्षो को इस कॉलम में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है , जो बाद में वापस लिए गए हैं/योग्यता के आधार पर नहीं परंतु अधिकार क्षेत्र के अभाव अथवा परिसीमन जैसे तकनीकी कारणों से पूरी तरह से अलग रखे गये हैं. यदि आदेश अस्थायी रूप से रोका गया है और अपीलीय / न्यायालयीन कार्यवाही लंबित है तो उन्हे भी दर्शाना है.	
V.	**सामान्य सूचना**	
42.	यदि सनदी लेखाकार/ वकील आदि है और किसी बैंक के साथ कोई व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं तो बैंक का नाम और संलग्नता की अवधि सहित विवरण दें.	
43.	यदि कोई सासंद /एमएलए/एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारक है, तो उसका विवरण प्रदान करें.	
VI	प्रकटीकरण और पारदर्शिता की दृष्टि से क्या अन्य कोई सम्बंधित सूचना है, जिससे ''उपयुक्त और समुचित'' का मूल्यांकन किया जा सके , तो तत्संबंधी विवरण दें.	

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

Sr No	Particulars	Information Disclosed
37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	(b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/ vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	
41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. (*Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).*	
V.	**General Information**	
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI.	In the interest of disclosure and transparency,should there be **any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.**	

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

क्र. सं.	विवरण	प्रकट की जाने वाली जानकारी
शपथ पत्र		
मै पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं पूर्ण है. मैं बैंक को उन प्रसंगों के संबंध में यथासंभव पूरी जानकारी प्रदान करने का वचन देता/देती हूँ, जो मेरी नियुक्ति के पश्चात घटित होती है, जो उपर्युक्त प्रदत्त जानकारी से सम्बंधित है. मै वचन देता/देती हूँ कि मैं बैंक के लेखापरीक्षा कार्य से दूरी बनाए रखूँगा /रखूँगी तथा मैं जिन संस्थाओं से संलग्न हूँ, ऐसे बैंक ऋण/निवेश निर्णयों में अपनी सहभागिता करुँगा /करुँगी.		
मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि बैंक के साथ निष्पादित किए जाने वाले ''प्रसंविदा विलेख'' के लिए तत्पर रहूँगा/ रहूँगी.		
	स्थान :	प्रस्तावित निदेशक के हस्ताक्षर
	दिनांक :	
	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) / बोर्ड की उपर्युक्त जानकारी सत्य एवं पूर्ण है के सम्बंध में संतुष्ट होने की टिप्पणी	
	स्थान :	अध्यक्ष के हस्ताक्षर
	दिनांक :	

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

Undertaking		
I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. Iundertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above. I undertake to distance myself from the bank audit work and not participate in the bank's credit/investment decisions involving entities in which I am interested.		
I also undertake to execute a 'Deed of Covenant' as required to be executed with the bank.		
	Place :	Signature of proposed Director
	Date :	
	Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC)/Board of having satisfied itself that the above information is true and complete.	
	Place :	Signature of the Chair
	Date :	

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट :	Registrar and Share Transfer Agent:
लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड (इकाई - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया) सी-101, 247 पार्क एल.बी.एस.मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुंबई 400 083 फोन : (022) 4918 6000 फैक्स : (022) 49186060 ई मेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in	**Link Intime India Private Limited** (Unit-CENTRAL BANK OF INDIA) C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 Phone No: (022) 4918 6000 Fax: (022) 49186060 E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY

Anand Kumar Das
Deputy General Manager
& Company Secretary

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चंदरमुखी, नरीमन पाइंट, मुम्बई - 400 021. फोन: 022-6638 7818

CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel.: 022-6638 7818

Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd. • Tel.: 022-4033 6400